उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की सम्पन्न विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	22
दिनाँक	:	15 मई, 2010
समय	:	पूर्वाह्न 11:30 बजे
स्थान	:	कुलपति कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 15 मई, 2010 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. सी.एल. खेत्रपाल, (पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स, एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ	सदस्य
3	डॉ. जोखन सिंह, (पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल, ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
4.	प्रो. पी.आर. अग्रवाल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, एम.एन.एन. आई.टी., इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

8. डॉ. नागेन्द्र यादव, — सदस्य
उपाचार्य, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

9. डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, — सदस्य
उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. श्री अच्छे लाल, — सदस्य
प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. श्रीमती मीरा पाल, — सदस्य
प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया — विशेष आमंत्रित सदस्य
प्रवक्ता, समाज विज्ञान विद्या शाखा
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. गिरीश कुमार द्विवेदी — विशेष आमंत्रित सदस्य
प्रवक्ता, शिक्षा विद्या शाखा
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

14. डॉ. ए.के. सिंह — सचिव
उप कुलसचिव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(2) प्रो. ए.के. गुप्ता,
(पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)
फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास,
विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद

(3) डॉ. एस.पी. गुप्ता,
निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(4) श्री एम.एल. कनौजिया
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने प्रथम बार बैठक में उपस्थित हो रहे सम्मानित सदस्य डॉ. सी.एल. खेत्रपाल, (पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,) निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स, एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनका सभी सदस्यों से परिचय कराते हुए उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने विश्वविद्यालय की प्रगति एवं भावी योजनाओं के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं से विद्या परिषद् को अवगत कराया :–

1. विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षान्त समारोह दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को प्रथम बार विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किये जाने तथा उसी दिन शैक्षिक परिसर के भवन का उद्घाटन महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किये जाने की जानकारी दी। दीक्षान्त भाषण न्यायमूर्ति श्री जगदीश शरण माथुर, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉ. राकेशधर त्रिपाठी, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ थे।

2. विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 2020 तक अपने विजन के निर्धारण के लिए किये गये प्रयासों की जानकारी दी।

3. दिनाँक 20 एवं 21 फरवरी, 2010 को DEC, AICTE एवं UGC के संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय की किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी।

4. सत्र 2009–10 में चिन्हित 10 अध्ययन केन्द्रों एवं चारों क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय स्तर पर स्पाट एडमीशन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने तथा प्रवेशित शिक्षार्थियों की संख्या के बारे में बताया।

5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। शैक्षिक परिसर में निर्माण की प्रगति एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद से प्राप्त होने वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी दी ।

6. दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के उपाधि प्रेषण से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ से लेकर अब तक समस्त उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की उपाधि उनके पते पर भेजे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.01

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या** 21-43 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.02

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् ने पिछली बैठक दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
20.01	विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
20.02	विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

20.03	दिनाँक 01 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 55 आवेदन पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत होना।	विद्या परिषद् प्रश्नगत बिन्दु को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।
2.	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्दों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 04 आवेदन पत्रों पर विचार।	शासकीय/अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित पत्र प्रेषित किये जाने के मान्यता बोर्ड के निर्णय को कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दी चुकी है।
3.	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः प्राप्त 48 आवेदन पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या पर विचार।	महाविद्यालय/संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के अनुशंसा के अनुसार नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में संस्तुत कार्यक्रमों को दर्शाते हुए पत्र प्रेषित कर सूचित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण मण्डल द्वारा असंस्तुत महाविद्यालयों/संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाय। **मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दी चुकी है।
4.	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा एवं पूर्व में गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जो अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति मांगी थी, को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिए जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 52 अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या	ऐसे अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत अतिरिक्त कार्यक्रमों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर सूचित करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही जिन अध्ययन केन्द्रों को निरीक्षण मण्डल द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रम संस्तुत नहीं किया गया है उन्हें भी पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। **मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दी चुकी है।

	पर विचार।	**कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	
5.	पूर्व में गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्दों, जो आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 32 अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या पर विचार।	ऐसे अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत/असंस्तुत कार्यक्रमों को उल्लेख करते हुए पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। **मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दी चुकी है।
6.	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों के संशोधन पर विचार।	नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना हेतु सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये गये सुक्षावों/चर्चा के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मानकों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया। **मान्यता बोर्ड की उक्त अनुशंसा के अनुसरण में अनुशंसित नये मानकों को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। नये मानकों को लागू किया गया है एवं नये अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु विज्ञापन जारी किये गये हैं।
20.04	**दिनाँक 03 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।**		
1.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षिक परिसर के भवन निर्माण की प्रगति पर विचार।	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में भवन निर्माण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। बीच में यह निर्माण कार्य धीमी गति से किया गया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। प्रशासनिक भवन माह अक्टूबर, 2009 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश शासन से पैसा न मिलने के कारण तीसरे प्लाट का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकरण द्वारा भूमि नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से लगभग आधे किमी. दूर पर दूसरा अन्य प्लाट इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। शैक्षणिक परिसर का प्रथम तल निर्माणाधीन है। शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् द्वारा रु. 110 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। सीवर, नाली तथा सड़क निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत रु. 111.31 लाख के सापेक्ष रु. 39.10 लाख का अनुदान अवमुक्त किया गया है। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसाओं से विद्या परिषद् अवगत होते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। जल निगम को इस दिशा में लगातार शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण से भूमि के कब्जे देने के लिए कुलपति जी ने भी पत्र लिखा है।

2.	विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के मुख्य गेट के बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।	1. भव्य गेट बनवाये जाने हेतु रु. 20–25 लाख का व्यय अनुमानित है। 2. प्रशासनिक भवन में एक भव्य गेट एवं दो अन्य गेट बनवाये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसाओं को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। कार्यदायी संस्था के स्तर से कार्य प्रगति पर है।
3.	विश्वविद्यालय के 10 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में राजर्षि टण्डन शिक्षक सम्मान पुरस्कार के प्रस्ताव पर विचार।	विश्वविद्यालय के 10 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में राजर्षि टण्डन शिक्षक सम्मान पुरस्कार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए गठित समिति के दिनाँक 01–09–2009 के बैठक के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही से विद्या परिषद् अवगत हुई तथा इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।
4.	दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किए गये वर्ष 2009–10 के बजट प्रस्ताव पर विचार।	विद्या परिषद् प्रश्नगत बजट से अवगत होते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। संशोधित बजट दूरस्थ शिक्षा परिषद् , नई दिल्ली को भेजा जा चुका है।
5.	नए क्षेत्रीय केन्द्रों की आवश्यकता एवं संस्थापना पर विचार।	विकेन्द्रीकरण की नीति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में 05 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है। योजना बोर्ड प्रश्नगत प्रकरण पर विचारोपरान्त निश्चय किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाय। इसके लिए उन्हीं क्षेत्रों में किसी दो अध्ययन केन्द्रों को उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वहीं क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किया जाय एवं किराये पर भवन लिया जाय। विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी नियुक्त न किया जाय बल्कि अध्ययन केन्द्र के कर्मचारी से ही कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।
6.	विश्वविद्यालय के निर्मित भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पर विचार।	निर्माणाधीन भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के कार्यदायी संस्था से फर्नीचर आदि से सम्बन्धित विस्तृत आगणन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संस्था के परियोजना प्रबन्धक से कहा गया। उनके द्वारा आगणन यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की सहमति दी गयी।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। शासन को इस सम्बन्ध में

		पुस्तकालय एवं शैक्षणिक परिसर हेतु फर्नीचर का आगणन भी प्रस्ताव शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। लिफ्ट एवं रैम्प के निर्माण हेतु धनराशि अलग से परियोजना प्रबन्धक द्वारा मांगा गया। परियोजना प्रबन्धक से अनुरोध किया गया कि वे भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
7.	शासन को भेजे गये दीर्घकालीन योजना (Perspective Planning) पर विचार।	शासन को भेज गये दीर्घकालीन योजना (Perspective Planning) पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सम्मानित सदस्य डॉ. एस.के. शर्मा द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखे जाने हेतु हिन्दी, अंग्रेजी आदि विषयों की किताबें क्रय किये जाय जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।
8.	अध्ययन केन्द्रों के मान्यता/वर्तमान मानकों के संशोधन पर विचार।	सभी प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण कराने एवं संस्तुत कार्यक्रमों में कम से कम तीन फैकल्टी मेम्बर्स होने का प्रस्तुत मानक में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। नये मानक लागू किये जा चुके हैं।
9.	नये यू.जी.सी. नियमों के अनुसार पी.एच–डी/एम. फिल कार्यक्रमों में परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार।	नये यू.जी.सी. नियमों के अनुसार पी.एच–डी/एम. फिल कार्यक्रमों में परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों में जब तक यू. जी.सी./ए.आई.सी.टी. से मानक नहीं बनता है तब तक पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित न किये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ने इस सम्बन्ध में विशिष्ट सूचनाएं मांगी है जिन्हें उन्हें प्रेषित किया जा चुका है।

10.	विश्वविद्यालय हेतु चौथे चरण के पदों के सृजन पर विचार।	विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यभार, अध्ययन केन्द्रों की बढ़ती संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद् के मानकों को पूरा करने के लिए चतुर्थ चरण के पदों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है। चतुर्थ चरण के पदों के सृजन हेतु पदों की प्रस्तावित विवरण को स्वीकार करते हुए अग्रतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
11.	विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन में डोम लगाये जाने पर विचार।	विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन में डोम लगाये जाने पर विचार किया। सम्मानित सदस्य डॉ. एस.के. शर्मा जी ने सुझाव दिया कि डोम लगाये जाने के अन्य विकल्प के तौर पर रेन वाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था पर भी विचार किया जाय। **योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। कार्यदायी संस्था इस दिशा में कार्य कर रही है।
20.05	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, 18–बी, अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे एसोसिएटशिप कोर्स इन फूट टेक्नालॉजी को उच्चीकृत कर इसमें डेयरी, सीरीयल, ऑयल, एवं मीट प्रसंस्करण की विधाओं का समावेश कर इसे एम. एस–सी (फूड टेक्नालॉजी) के पाठ्यक्रम के रूप में चलाये जाने के सम्बन्ध में विचार।	शासन के निर्देशों के अनुरूप संस्थान के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्थान पर संस्थान में चलाये जाने हेतु प्रस्तावित एम.एस–सी. (फूड टेक्नालाजी) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया तथा निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, लखनऊ ने इस दिशा में विश्वविद्यालय से कोई सम्पर्क नहीं किया है।
20.06	दिसम्बर, 2007/जून, 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री दिये जाने हेतु सूची अनुमोदन एवं तिथि निर्धारण पर विचार।	दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित न किये जा सकने के कारण डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डप्लोमा/ प्रमाण–पत्र दिये जाने वाली प्रस्तुत सूची का अनुमोदन किया जाय एवं दी जाने वाली उपाधि पर कार्य परिषद् की आगामी बैठक की तिथि दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 का अंकन किया जाय। **उक्त अनुशंसा को कार्य परिषद् की बैठक में**	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में सूची प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद् द्वारा अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्य पूर्ण हो चुका है।

		विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	
20.07	चौथे दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर, 2008/जून 2009 के परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री दिये जाने हेतु सूची के अनुमोदन पर विचार।	परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूची को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में सूची प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद् द्वारा अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्य पूर्ण हो चुका है।
20.08	चौथे दीक्षान्त समारोह में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार स्वर्ण पदक दिये जाने पर विचार।	सम्बन्धित प्रकरण को कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पुराने छात्रों को भी स्वर्ण पदक दीक्षान्त समारोह के बाद दिये जाने की व्यवस्था किया जाय।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् द्वारा यथावत स्वीकार किया। कार्य पूर्ण हो चुका है।
20.09	M.Phil और Ph.D. उपाधि के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।	M.Phil. और Ph.D. उपाधि के प्रारूप को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् द्वारा यथावत स्वीकार किया। कार्य पूर्ण हो चुका है।
20.10	श्री राकेश चन्द्र यादव को विश्वविद्यालय द्वारा डी.फिल उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् अवगत होते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् द्वारा यथावत स्वीकार किया।
20.11	दीक्षान्त समारोह में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को उपाधि/डिप्लोमा के प्रेषण पर विचार।	जो छात्र डिग्री/डिप्लोमा किन्हीं कारणों से न ले जा सके हों उनको विश्वविद्यालय खर्च पर डाक द्वारा प्रेषितकिये जाने का निर्णय लिया गया।	दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् द्वारा यथावत स्वीकार किया। निर्णय का क्रियान्वयन हो रहा है।
20.12	प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अपर राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 09–12–09 पर विचार।	एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय। प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु अध्यक्ष की अनुमति से प्रो. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जा चुकी है। शासन से इस प्रकरण पर अन्तिम कार्यवाही नहीं हुई है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.03

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 08 जनवरी, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 08 जनवरी, 2010 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या** 44-47 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 08 जनवरी, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.04

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 08 जनवरी, 2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक 08 जनवरी, 2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
21.01	दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2008/जून 2009 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में 4963 डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 622 सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पूर्ण सूची के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।	दिनाँक 08 जनवरी, 2010 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत सूची का अनुमोदन किया गया। कार्य पूर्ण हो चुका है।
21.02	दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये	दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में 4438 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित न किये जा सकने के कारण	दिनाँक 08 जनवरी, 2010 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रश्नगत प्रकरण को प्रस्तुत किया

	जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डप्लोमा/प्रमाण–पत्र दिये जाने वाली पूर्ण सूची को अंगीकृत किया जाय एवं दी जाने वाली उपाधि पर पिछले कार्य परिषद् की बैठक की तिथि दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 का अंकन किया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि इसे कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।	गया तथा कार्य परिषद् द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। कार्य प्रगति पर है।
21.03	दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को सम्पन्न होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.05

नये कार्यक्रमों के प्रारम्भ करने पर विचार

आगामी सत्र 2010–11 से विश्वविद्यालय कतिपय कार्यक्रमों का संचालन करना चाहता है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियाँ/कार्यवृत्त विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो **संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या** 49-56 पर उपलब्ध है।

निश्चय किया गया कि प्रस्तावित 15 कार्यक्रमों को सत्र 2010–11 से प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय एवं सत्र 2010–11 में इसी प्रकार कृषि व अन्य विद्या शाखा के नवीन कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया जाय।

विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्य प्रो. सी.एल. खेत्रपाल ने यह सुझाव दिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लांग लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कार्ययोजना की सम्यक जानकारी प्राप्त कर एवं उनके साथ मिलकर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाय जिसे सर्वसम्मिति से स्वीकार किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.06

विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. की मौखिकी परीक्षा होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 और प्रथम परिनियमावली 2002 के परिनियम 9.01(5) तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय पन्द्रह में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. उपाधि हेतु शोध छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ था जिनके विवरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	शोध छात्र/छात्रा का नाम	विद्या शाखा का नाम/विषय का नाम	पंजीकरण तिथि	मौखिकी परीक्षा तिथि
1.	कु. संगीता कनौजिया	समाज विज्ञान विद्या शाखा/ प्राचीन इतिहास	15-02-2007	04-01-2010
2.	श्री सर्वेश कुमार	मानविकी विद्या शाखा/पुस्तकालय विज्ञान विद्या शाखा	27-02-2007	06-01-2010
3.	श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव	शिक्षा विद्या शाखा/शिक्षा शास्त्र	21-08-2007	03-04-2010
4.	सुश्री रुचि मित्तल	समाज विज्ञान विद्या शाखा/मध्यकालीन इतिहास	13-02-2007	16-04-2010
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	मानविकी विद्या शाखा/पुस्तकालय विज्ञान विद्या शाखा	27-02-2007	22-04-2010

उपर्युक्त सभी शोध छात्र/छात्राओं द्वारा पी.एच–डी. उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध जमा किया गया। उनके शोध प्रबन्धों का मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराया गया। इन्हें पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

निश्चय किया गया कि उपर्युक्त सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान की जाय एवं सुझाव दिया गया कि आगामी बैठक में इस प्रकार के प्रस्तावों में शोध प्रबन्ध के शीर्षक एवं पर्यवेक्षक के नाम भी उल्लेख किये जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.07

विभिन्न कार्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त पर विचार

विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित प्रवेश शुल्क की संरचना में विश्वविद्यालय स्थापना के समय से अद्यतन सामान्यतया कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में विभेद न करते हुए इन तीनो प्रकार के शुल्कों को कार्यक्रम शुल्क के रूप में एक साथ लिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की दिनाँक 29–03–2010 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त, जो **संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या** 57–63 पर उपलब्ध है, विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि समिति की उक्त अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.08

दिनाँक 27 मार्च, 2010 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों पर विचार

मान्यता बोर्ड की बैठक दिनाँक 27 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवृत्त जो **संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या** 64–70 पर उपलब्ध है, विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। मान्यता बोर्ड की कार्यवृत्त तथा संस्तुतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	मान्यता बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय	मान्यता बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
9.01	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 सितम्बर, 2009 के कार्यवृत्त की	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	पुष्टि।		
9.02	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 सितम्बर, 2009 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9.03	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों, जो माह सितम्बर, 2009 में प्राप्त हुए थे एवं जिनका निरीक्षण नहीं हो सका था, पर विचार।	सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 07 अप्रैल, 2010 तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन–पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	गठित निरीक्षण मण्डल से अनुशंसा अप्राप्त है।
9.04	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार।	सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 07 अप्रैल, 2010 तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन–पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	गठित निरीक्षण मण्डल से अनुशंसा अप्राप्त है।
9.05	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रम संचालन हेतु अनुमति दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 07 अप्रैल, 2010 तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन–पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं को विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।	गठित निरीक्षण मण्डल से अनुशंसा अप्राप्त है।
9.06	कतिपय अध्ययन केन्द्रों द्वारा आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों के संचालन	ऐसे अध्ययन केन्द्रों के कार्यक्रमों का गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा असंस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित शिक्षार्थियों को उन्हें अन्यत्र किसी नजदीक के अध्ययन केन्द्र जहाँ वह कार्यक्रम संचालित हो पर	गठित निरीक्षण मण्डल से अनुशंसा अप्राप्त है।

	सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।	स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाय तथा वर्ष 2010–11 के सूचना विवरणिका में यह उल्लेख किया जाय कि शिक्षार्थी अपने चयनित अध्ययन केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित कार्यक्रम में ही प्रवेश लें। गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा कार्यक्रमों के संस्तुत अनुशंसाओं से सम्बन्धित केन्द्रों को सूचित किया जाय।	
9.07	अपेक्षित शिक्षार्थियों के अभाव में कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2010–11 में स्थगित किए जाने पर विचार।	ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 07 से 50 तक है, को एक पत्र प्रेषित कर उन्हें निर्देश दिया जाय कि आगामी सत्र से छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।	कार्यवाही की जा रही है।
9.08	शिक्षार्थियों की संख्या शून्य होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2010–11 से निरस्त किए जाने पर विचार।	ऐसे 156 अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या छः तक है, के संचालन को आगामी सत्र से स्थगित रखा जाय। यदि सम्बन्धित केन्द्र एक वर्ष के दौरान पुनः नियमानुसार प्रस्ताव/आवेदन करते हैं तो परीक्षण करके उन्हें बिना किसी शुल्क के अस्थायी मान्यता दे दिया जाय। आवेदन न किये जाने पर एक वर्ष के बाद ये केन्द्र स्वतः निरस्त समंझे जायें। ऐसे निरस्त किये जाने वाले समस्त अध्ययन केन्द्रों के पंजीकृत शिक्षार्थियों को निकट के ऐसे अध्ययन केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जाय जहाँ पर सम्बन्धित कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित हो एवं सभी शिक्षार्थियों व सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को उनके स्थानान्तरण की सूचना दी जाय।	कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./ 163/2010 दिनाँक 11–05–2010 द्वारा प्रभारी अध्ययन केन्द्र को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

निश्चय किया गया कि उक्त प्रकरण को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.09

एम.बी.ए. प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारण हेतु प्रस्तावित नये नियमन (Regulation) पर विचार

UGC/AICTE/DEC की संयुक्त विशेषज्ञ समिति की दिनाँक 20–21 फरवरी, 2010 को विश्वविद्यालय की निरीक्षण के समय एम.बी.ए. में प्रवेश परीक्षा के आयोजन की अपरिहार्यता पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी द्वारा गठित समिति ने एम.बी.ए. में प्रवेश हेतु पुराने नियमन (Regulation) **(संलग्नक – 06 पृष्ठ संख्या 71-79 पर उपलब्ध है)** के स्थान पर नये नियमन (Regulation)को प्रस्तावित किया है। नया नियमन संलग्न है।

अतः नये नियमन (Regulation) का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, जो **संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 80-81** पर उपलब्ध है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

निश्चय किया गया कि समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.10

विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 एवं बी.एड. अध्यादेश में परिवर्तन हेतु समिति की संस्तुतियों पर विचार

कार्य परिषद् के संकल्प संख्या 40.11 के अन्तर्गत परिनियमों एवं अध्यादेशों के संशोधन हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 13 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुई। इस समिति की अन्तरिम प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में परिनियमावली एवं अध्यादेशों में परिवर्तन हेतु कुलपति जी द्वारा गठित अन्य समिति की बैठक दिनाँक 10–05–2010 को हुई। इसमें प्रवेश, आरक्षण , कार्यक्रमों के संचालन व मूल्यांकन, परीक्षकों की नियुक्ति, दीक्षान्त समारोह के दिशा निर्देश एवं बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पर चर्चा की गयी। वर्तमान व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने सम्बन्धित बिन्दुओं पर कतिपय संशोधन किये जाने की संस्तुति की।

समिति की संस्तुतियाँ विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं, जो **संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 82-88** पर उपलब्ध है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

निश्चय किया गया कि समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय। समिति की अनुशंसा को कार्य परिषद् की बैठक की तिथि से प्रभावी किये जाने का प्रस्ताव भी कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.11

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) और एम.एस–सी (सांख्यिकी) (M.Sc Statistics) में प्रवेश हेतु अर्हता में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कतिपय कार्यक्रमों के अर्हता आदि के संशोधन के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 19–03–2010 को सम्पन्न हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) और एम.एस–सी (सांख्यिकी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता को गठित समिति ने दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों कार्यक्रमों में निम्न विवरण के अनुसार प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारित करने की संस्तुति की है :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रवेश हेतु वर्तमान अर्हता	प्रस्तावित अर्हता
1.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ)	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC) या पत्रकारिता में स्नातक (BJ)	किसी विषय में स्नातक
2.	एम.एस–सी (सांख्यिकी) M.Sc Statistics	सम्बन्धित विषय में स्नातक	गणित/सांख्यिकी में 50% के साथ स्नातक

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

निश्चय किया गया कि एम.एस–सी (सांख्यिकी) M.Sc Statistics में प्रवेश की अर्हता "गणित/सांख्यिकी में 50% के साथ स्नातक" के स्थान पर "गणित/सांख्यिकी में स्नातक" के

संशोधन के साथ समिति की अनुशंसा *को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।*

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.12

नॉन–क्रेडिट जागरुकता कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नॉन–क्रेडिट जागरुकता कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति के सदस्यों की बैठक दिनाँक 14–05–2010 को सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियाँ **संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या ..09....** पर उपलब्ध है।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.13

(अ) उपाधियों के समतुल्यता के सम्बन्ध में समिति के गठन पर विचार

मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य विश्वविद्यालयों से अध्ययन कर उपाधि प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करते है, जिनकी उपाधियों के समतुल्यता के सम्बन्ध में संशय एवं अस्पष्टता परिलक्षित होती है। अतः ऐसे उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रमों की इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के समतुल्यता के सम्बन्ध में विचार करने हेतु निम्न के अनुसार समिति के गठन का प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है :–

(v)	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो निदेशक के स्तर से कम न हो (एक वर्ष के लिए)	अध्यक्ष
(vi)	सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक	सदस्य
(vii)	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्राध्यापक (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
(viii)	प्रभारी प्रवेश विभाग	सचिव

निश्चय किया गया कि उक्त प्रकरण को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

(ब) **परीक्षाफल समिति के गठन पर विचार**

विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है जिसके अध्ययन केन्द्र/परीक्षा केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित है। अब तक परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय प्रक्रियाओं/विसंगतियों का निस्तारण परीक्षा नियंत्रक ही करते हैं। इन विसंगतियों को दूर करने हेतु तथा परीक्षाफलों के परिसीमन हेतु निम्न के अनुसार समिति के गठन का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

(v)	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो निदेशक के स्तर से कम न हो (एक वर्ष के लिए)	अध्यक्ष
(vi)	सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक	सदस्य
(vii)	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राध्यापक (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
(viii)	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

निश्चय किया गया कि उक्त प्रकरण को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव

संलग्नक - 01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 15 दिसम्बर, 2009 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय के मीडिया सेण्टर में सम्पन्न विद्या परिषद् की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2	प्रो. ए.के. गुप्ता, पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास, विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. पी.आर. अग्रवाल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट इस्टडीज, एम.एन.एन. आई.टी., इलाहाबाद	सदस्य
4	प्रो. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. नागेन्द्र यादव, उपाचार्य, प्रबन्धन अध्यान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, सदस्य
उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10 श्री अच्छे लाल, सदस्य
प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. श्रीमती मीरा पाल, सदस्य
प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. आर.पी.एस. यादव, विशेष आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. श्री एम.एल कनौजिया, सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) डॉ. सी.एल. क्षेत्रपाल,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स,
एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ

(2) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(3) डॉ. जोखन सिंह,
पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय,
द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल, ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्यों प्रो. ए.के. गुप्ता, पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं प्रो. पी.आर.

अग्रवाल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, एम.एन.एन. आई.टी., इलाहाबाद का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने इन दोनों नये सम्मानित सदस्यों का परिचय परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया तथा अन्य तीन नये सम्मानित सदस्यों, जो अपरिहार्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके, के विषय में अवगत कराया। कुलपति जी ने विश्वविद्यालय की प्रगति एवं भावी योजनाओं से अवगत कराया।

कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि :–

(1) सत्र 2009–10 में चिन्हित लगभग 10 अध्ययन केन्द्रों एवं चारों क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय स्तर पर स्पाट एडमीशन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी तथा इसके प्रगति से अवगत कराया।

(2) दिनाँक 27 जनवरी, 2009 को विश्वविद्यालय स्थापना के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने की जानकारी दी।

(3) फाफामऊ स्थित विश्वविद्यालय के नये परिसर में शैक्षिक परिसर के भवन निर्माण के प्रगति की जानकारी दी। विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षान्त समारोह दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित किये जाने तथा उसी दिन शैक्षिक परिसर के भवन का उद्घाटन महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

(4) सत्र 2008–09 में नये प्रवेशार्थियों की संख्या 16000 थी जो सत्र 2009–10 में बढ़कर 23000 हो गयी है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में इस विश्वविद्यालय के लगभग 476 अध्ययन केन्द्र संचालित हैं। आगामी परीक्षा, जो 29 दिसम्बर, 2009 से प्रस्तावित है, हेतु लगभग 80 परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी।

(5) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के शासकीय/अशासकीय/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों के संचालन हेतु केन्द्र खोले जाने की अनुमति बिना निरीक्षण के दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.01

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 18 मई, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या** पर उपलब्ध है। कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् की ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.02

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 18 मई, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही निम्नवत है :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
19.01	विद्या परिषद अपनी पिछली बैठक दिनाँक 26 मार्च, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
19.02	विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनाँक 26 मार्च, 2009 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
19.03	भारतीय पुनर्वास परिषद्, (R.C.I), नई दिल्ली की अनुमति से PGPD-SEDE कार्यक्रम संचालित करने पर विचार।	ऐसे व्यक्ति जो बी.एड. उपाधि धारक हैं एवं विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहते हैं उन्हें बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के समकक्ष बनाने के लिए आर.सी.आई. द्वारा संचालित PGPD-SEDE कार्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया गया। उक्त कार्यक्रम को आर. सी.आई. ने अपने पत्र दिनाँक 28 नवम्बर, 2008 द्वारा उन्हीं केन्द्रों पर संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की है जहाँ बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम पूर्व	कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नियमानुसार सत्र 2009–10 में इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया जा चुका है।

		से संचालित है।	
19.04	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के सहयोग से पी.जी. डिप्लोमा इन इन्डियन आर्ट, कल्चर एण्ड टूरिज्म कार्यक्रम संचालित करने पर विचार।	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के सहयोग से पी. जी. डिप्लोमा इन इन्डियन आर्ट, कल्चर एण्ड टूरिज्म कार्यक्रम संचालित किये जाने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाय और सामान्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर एम.ओ.यू. करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है लेकिन उत्तर अप्राप्त है।
19.05	दिनाँक 13 मई, 2009 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।	दिनाँक 13–05–2009 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।	63 नये अध्ययन केन्द्रों की स्वीकृति, 46 अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं 60 अध्ययन केन्द्रों को बिना अनुमति के पूर्व में संचालित कार्यक्रमों की स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित केन्द्रों को पत्र निर्गत किया गया।
19.06	विभिन्न विद्या शाखा बोर्ड की अनुशंसाओं पर विचार।	विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं की अनुशंसाओं को सिद्धान्तः स्वीकार करते हुए इनका प्रशासनिक परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया।	विभिन्न अनुशंसाओं का परीक्षण कराया जा रहा है।
19.07	विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र नवम्बर, 2008 को अंगीकृत करने पर विचार।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या F.1-10/2004 Pt III (CPP-II) दिनाँक नवम्बर, 2008 को अंगीकृत किये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उपाधियों के विशिष्टीकरण से सम्बन्धित अधिसूचना के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया।	विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उपाधियों के विशिष्टीकरण से सम्बन्धित अधिसूचना के अनुरूप कर दिया गया है।
19.08	विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त स्कूल बोर्ड की स्नातक	संयुक्त स्कूल बोर्ड की बैठक दिनाँक 17–05–2009 के कार्यवृत्त को स्वीकार किया जाय तथा तद्नुसार	सत्र 2009–10 में बी.ए. एवं बी.एस–सी. (सामान्य, मेजर

	पाठ्यक्रम की संरचना आदि के सम्बन्ध में प्राप्त कार्यवृत्त पर विचार	कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	व रोजगार परक) कार्यक्रमों के नवीन संरचना के अनुसार अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया गया है।

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक18 मई, 2009 में लिये गये निर्णयों पर उक्तानुसार उल्लिखित की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.03

दिनाँक 01 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

दिनाँक 01 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त निम्नवत है :–

1. **सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 55 आवेदन पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत होना**

उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश में बढ़े हुए समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का बी.ए., बी.एस–सी. और बी.काम कार्यक्रमों में अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निम्नवत विभाजन किया गया है :–

क्रम सं.	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	संख्या
1.	शासकीय महाविद्यालय	13
2.	अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	20
3.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	22

उपर्युक्तानुसार महाविद्यालयों को नये अध्ययन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी पत्र माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष अवलोनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

"मान्यता बोर्ड ने सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 55 आवेदन पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा इन महाविद्यालयों को नये अध्ययन केन्द्र के रुप में स्थापित किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।"

मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसित कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

2. **<u>सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्दों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 04 आवेदन पत्रों पर विचार</u>**

उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश में बढ़े हुए समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का बी.ए., बी.एस–सी. और बी.काम कार्यक्रमों में अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा और प्रस्ताव प्राप्त होने की सम्भावना है। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निम्नवत विभाजन किया गया है :–

क्र.सं.	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	संख्या
1.	शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	03
2.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	01

उपर्युक्तानुसार महाविद्यालयों को सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना सम्बन्धित प्रस्ताव मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"मान्यता बोर्ड ने सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 04 आवेदन पत्रों पर विचार किया।

निश्चय किया कि शासकीय/अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित पत्र प्रेषित किया जाय।"

मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

3. **<u>सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः प्राप्त 48 आवेदन पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या पर विचार</u>**

सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः कुल 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनको निम्नवत विभाजित किया गया है :–

क्र. सं.	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	संख्या
1.	शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	09
2.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	22
3.	संस्थान	17

उपर्युक्तानुसार सभी महाविद्यालयों/संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल से 48 प्रस्तावों की स्थलीयं निरीक्षण आख्या प्राप्त हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः कुल 05 नये प्रस्ताव निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त हुए हैं, जिनका स्थलीय निरीक्षण अद्यतन नहीं किया गया है :–

क्र. सं.	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	संख्या

1.	शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	01
2.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	02
3.	संस्थान	02

अतः उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"मान्यता बोर्ड ने सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः प्राप्त 48 आवेदन पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या पर विचार किया।

निश्चय किया कि महाविद्यालय/संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के अनुशंसा के अनुसार नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में संस्तुत कार्यक्रमों को दर्शाते हुए पत्र प्रेषित कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण मण्डल द्वारा असंस्तुत महाविद्यालयों/संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए।"

मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

4. **<u>पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा एवं पूर्व में गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जो अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति मांगी थी, को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिए जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 52 अंध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या पर विचार</u>**

पूर्व से संचालित कतिपय अध्ययन केन्द्रों द्वारा सत्र 2009–10 से अतिरिक्त कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु अनुमति मांगी गयी थी। ऐसे अध्ययन केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल से प्राप्त निरीक्षण आख्या की अनुशंसाओं को मान्यता बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

"मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 52 सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या पर विचार किया।

निश्चय किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत अतिरिक्त कार्यक्रमों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर दिया जाए तथा साथ ही जिन अध्ययन केन्द्रों को निरीक्षण मण्डल द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रम संस्तुत नहीं किया गया है उन्हें भी पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए।"

मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

5. **पूर्व में गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्दों, जो आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 32 अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या पर विचार**

कतिपय अध्ययन केन्द्रों द्वारा आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल से प्राप्त निरीक्षण आख्या की अनुशंसाओं को मान्यता बोर्ड के समक्ष अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत ऐसे अध्ययन केन्दों के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 32 अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण आख्या पर विचार किया।

निश्चय किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत/असंस्तुत कार्यक्रमों को उल्लिखित करते हुए पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाय।

मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही को विद्या परिषद् ने स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

6. **नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों के संशोधन पर विचार**

इस समय प्रदेश में लगभग 421 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। अतः बदले हुए परिवेश में इन अध्ययन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली

के अन्तर्गत भविष्य में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों के संशोधन पर विचार किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना हेतु वर्तमान मानक में संशोधन किये जाने पर विचार किया। सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों/चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मान्यता बोर्ड ने निश्चय किया कि वर्तमान मानकों को संशोधित किया जाय।

मान्यता बोर्ड की उक्त अनुशंसा के अनुसरण में अनुशंसित नये मानको को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निश्चय किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.04

दिनाँक 03 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

दिनाँक 03 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त निम्नवत है :–

1. **विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षिक परिसर के भवन निर्माण की प्रगति पर विचार**

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में भवन निर्माण कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के अनुसार कार्यदायी संस्था को शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रु. 510.30 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार जुलाई, 2009 तक भवन का मात्र 75 प्रतिशत निर्माण हो चुका है जबकि भवन निर्माण मार्च, 2009 तक पूर्ण होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण कार्य मई, 2006 से चल रहा है।

कार्यदायी संस्था द्वारा शैक्षणिक परिसर में भवन निर्माण की प्रगति आख्या के अनुसार शैक्षणिक भवन का भू–तल पूर्ण हो चुका है और प्रथम तल के निर्माण का कार्य चल रहा है। भू–तल पर निर्मित भवन का इन्वेंट्री कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है,

जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने निर्मित भवन के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निर्मित भवन में कई कमियाँ पायी।

"विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में भवन निर्माण कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। बीच में यह निर्माण कार्य धीमी गति से किया गया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। प्रशासनिक भवन माह अक्टूबर, 2009 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश शासन से पैसा न मिलने के कारण तीसरे प्लाट का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकरण द्वारा भूमि नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से लगभग आधे किमी. दूर पर दूसरा अन्य प्लाट इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। शैक्षणिक परिसर का प्रथम तल निर्माणाधीन है। शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् द्वारा रु. 110 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। सीवर, नाली तथा सड़क निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत रु. 111.31 लाख के सापेक्ष रु. 39.10 लाख का अनुदान अवमुक्त किया गया है।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा से विद्या परिषद् अवगत होते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

2. **<u>विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के मुख्य गेट के बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार</u>**

विश्वविद्यालय की दो स्थानों पर भूमि शान्तीपुरम् आवास योजना के अन्तर्गत गोहरी रोड पर स्थित है जिस पर भवन निर्माण चल रहा है। एक स्थान पर कुलपति आवास, अतिथि गृह, मीड़िया सेण्टर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास निर्मित हो चुके हैं लेकिन इस परिसर में प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन है, जिसका 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रशासनिक भवन में प्रवेश हेतु दो गेट बने हुए हैं। गेट भव्य एवं अच्छा बने इसके लिए विचार किया जाना है।

"योजना बोड 'विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के मुख्य गेट के बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया।

प्रकरण पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और निश्चय किया गया कि प्रकरण कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाय :–

1. *भव्य गेट बनवाये जाने हेतु रु. 20–25 लाख का व्यय अनुमानित है।*
2. *प्रशासनिक भवन में एक भव्य गेट एवं दो अन्य गेट बनवाया जाय।*

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

3. <u>विश्वविद्यालय के 10 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में राजर्षि टण्डन शिक्षक सम्मान पुरस्कार के प्रस्ताव पर विचार</u>

विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने एवं प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान करने के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस **(05 सितम्बर)** के अवसर पर राजर्षि टण्डन शिक्षक सम्मान पुरस्कार ख्यातिलब्ध शिक्षकों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

"योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के 10 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में राजर्षि टण्डन शिक्षक सम्मान पुरस्कार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए गठित समिति के दिनाँक 01–09–2009 के बैठक के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किया।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा के अनुसार कृत कार्यवाही से विद्या परिषद् अवगत हुई तथा इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

4. <u>दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किए गये वर्ष 2009–10 के बजट प्रस्ताव पर विचार</u>

इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में संचालित है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उच्च शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना है। मुक्त विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्रियाकलापों के संचालनार्थ अनुदान दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु बजट प्रस्ताव दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है, जो योजना बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

"गत वित्तीय वर्ष विभिन्न क्रियाकलापों के संचालनार्थ दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से रु. 2.75 करोड़ अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 2.45 करोड़ व्यय किया गया और रु. 30 लाख वापस कर दिया गया। रिसर्च एवं डेवलपमेण्ट में प्राप्त धनराशि वापस करना पड़ा क्योंकि अनुदान विलम्ब से प्राप्त होने पर व्यय नहीं किया जा सका। प्रदेश में

वर्तमान में लगभग 400 अध्ययन केन्द्र है। विश्वविद्यालय में मात्र 18 प्राध्यापक कार्यरत है। विभिन्न कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री प्राध्यापकों से तैयार कराया जा रहा है। इस प्रकार शैक्षणिक स्टाफ प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शैक्षणिक कार्य नहीं कर पाते है।

योजना बोर्ड वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये वर्ष 2009–10 के बजट प्रस्ताव से अवगत हुई।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा के अनुशरण में दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को भेजे गये प्रस्ताव को विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा निश्चय किया कि इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

5. <u>नए क्षेत्रीय केन्द्रों की आवश्कता एवं संस्थापना पर विचार</u>

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का विस्तार बहुत अधिक है और भौगोलिक दशाएं भी भिन्न–भिन्न है। शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से एवं कार्य प्रणाली को गति देने के लिए प्रदेश में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं बरेली में की गयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में स्थापित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में स्थित अध्ययन केन्द्रों के कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने एवं केन्द्रों व विश्वविद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

"विकेन्द्रीकरण की नीति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में 05 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है। योजना बोर्ड प्रश्नगत प्रकरण पर विचारोपरान्त निश्चय किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाय। इसके लिए उन्हीं क्षेत्रों में किसी दो अध्ययन केन्द्रों को उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वहीं क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किया जाय एवं किराये पर भवन लिया जाय। विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी नियुक्त न किया जाय बल्कि अध्ययन केन्द्र के कर्मचारी से ही कार्य लिया जाय।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा निश्चय किया कि इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

6. **विश्वविद्यालय के निर्मित भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पर विचार**

विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन/शैक्षणिक भवन निर्माणाधीन है। प्रशासनिक भवन में कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त अधिकारी कार्यालय, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय आदि प्रशासनिक कार्यालय स्थापित होंगे। इन कार्यालयों को व्यवस्थित किये जाने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था होगी जिसके लिए पूर्व में प्रस्ताव शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव **संलग्नक–02 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।**

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के निर्मित भवन के फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पर विचार किया।

"निर्माणाधीन भवन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के कार्यदायी संस्था से फर्नीचर आदि से सम्बन्धित विस्तृत आगणन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संस्था के परियोजना प्रबन्धक से कहा गया। उनके द्वारा आगणन यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की सहमति दी गयी। पुस्तकालय एवं शैक्षणिक परिसर हेतु फर्नीचर का आगणन भी प्रस्ताव शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। लिफ्ट एवं रैम्प के निर्माण हेतु धनराशि अलग से परियोजना प्रबन्धक द्वारा मांगा गया। परियोजना प्रबन्धक से अनुरोध किया गया कि वे भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायें।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा निश्चय किया कि इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

7. **शासन को भेजे गये दीर्घकालीन योजना (Perspective Planning) पर विचार**

विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन विश्वविद्यालय अभी विकास की प्रक्रिया में है। अतः विश्वविद्यालय के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है जो **संलग्नक–03 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।**

"योजना बोर्ड शासन को भेज गये दीर्घकालीन योजना (Perspective Planning) *पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सम्मानित सदस्य डॉ. एस.के. शर्मा द्वारा सुझाव दिया गया कि*

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखे जाने हेतु हिन्दी, अंग्रेजी आदि विषयों की किताबें क्रय किये जाय जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

8. <u>अध्ययन केन्द्रों के मान्यता/वर्तमान मानकों के संशोधन पर विचार</u>

नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु मानक व आवेदन पत्र का प्रारूप **संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या** पर उपलब्ध है। इस समय 421 अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन अध्ययन केन्द्रों के सृदृढ़ीकरण तथा भविष्य में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों के संशोधन पर विचार किया जाना है।

"योजना बोर्ड अध्ययन केन्द्रों के मान्यता/वर्तमान मानकों के संशोधन पर विचार किया। नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना हेतु प्रस्ताव, बिना अनुमति के संचालित कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रस्ताव और विभिन्न अध्ययन केन्दों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसका निरीक्षण किया जाना कठिन कार्य था। ऐसी स्थिति में अध्ययन केन्द्रों के मान्यता/मानक में परिवर्तन किया जाना उचित समझा गया। अतः योजना बोर्ड ने निर्णय लिया कि अध्ययन केन्द्रों के मान्यता/मानकों में परिवर्तन/संशोधन किया जाय। वर्ष 2009–10 में लगभग 200 केन्द्र निरीक्षण के आधार पर खोले गये तथा 55 अध्ययन केन्द्र बिना निरीक्षण के खोले गये।"

प्रश्नगत बिन्दु मान्यता बोर्ड की दिनाँक 01–09–2009 को सम्पन्न बैठक में भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जो इस कार्यवृत्त के **पृष्ठ संख्या ३०** पर उल्लिखित है। संशोधित मानक/मापदण्ड/आवेदन पत्र का प्रारूप **संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।**

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

9. <u>नये यू.जी.सी. नियमों के अनुसार पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों में परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन, 2009 जारी किया गया है, जो एम.फिल/पी.एच–डी उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मानक, प्रक्रिया एवं अन्य दिशा निर्देशों से सम्बन्धित है। तद्नुसार सत्र 2009–10 में पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों में प्रवेश स्थगित रखा गया है।

"योजना बोर्ड नये यू.जी.सी. नियमों के अनुसार पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों में परिवर्तन की सम्भावनाओं पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पी. एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों में जब तक यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी. से मानक नहीं बनता है तब तक पी.एच–डी/एम.फिल कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित न किया जाय।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

10. <u>विश्वविद्यालय हेतु चौथे चरण के पदों के सृजन पर विचार</u>

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय अधिनिमय 10, 1999 के अन्तर्गत हुई है। इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय हेतु प्रथम चरण में 16, द्वितीय चरण में 47 एवं तृतीय चरण में 61 पदों का सृजन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यभार, अध्ययन केन्द्रों की बढ़ती संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद् के मानकों को पूरा करने के लिए चौथे चरण के पदों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु चौथे चरण के पदों पर विचार किया।

"निश्चय किया कि विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यभार, अध्ययन केन्द्रों की बढ़ती संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद् के मानकों को पूरा करने के लिए चतुर्थ चरण के पदों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है। चतुर्थ चरण के पदों के सृजन हेतु पदों की प्रस्तावित विवरण को स्वीकार करते हुए अग्रतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

11. <u>विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन में डोम लगाये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन चार तलों में बनाये जाने का प्रावधान है और चौथे तल पर डोम बनाया जाना है। शासन से अनुदान की उपलब्धता केवल दो तलों (भूतल

एवं प्रथम तल) के लिए ही हुआ है। अतः धूप एवं वर्षा से सुरक्षा हेतु दूसरे तल पर डोम का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जो स्टील पाइप व एंगिल नट बोल्ट के साथ निर्मित किया जाना है। डोम हल्के हरे रंग के फाइवर ग्लास सीट तथा स्टील ट्यूबलर से निर्मित किये जाने हेतु व्यय भवन के आगणन के अनुसार रू. 11,85,337/– होगा। जब भी प्रथम तल के ऊपर अन्य तल बनाना होगा तो इस डोम को नट बाल्ट से खोलकर हटा लिया जायेगा और चतुर्थ तल के निर्माण हो जाने पर वहाँ इसे लगा दिया जायेगा।

"योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन में डोम लगाये जाने पर विचार किया। सम्मानित सदस्य डॉ. एस.के. शर्मा जी ने सुझाव दिया कि डोम लगाये जाने के अन्य विकल्प के तौर पर रेन वाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था पर भी विचार किया जाय।"

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.05

राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, 18–बी, अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे एसोसिएटशिप कोर्स इन फूट टेक्नालॉजी को उच्चीकृत कर इसमें डेयरी, सीरीयल, ऑयल, एवं मीट प्रसंस्करण की विधाओं का समावेश कर इसे एम.एस–सी (फूड टेक्नालॉजी) के पाठ्यक्रम के रूप में चलाये जाने के सम्बन्ध में विचार

राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, 18–बी, अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे दो वर्षीय एसोसिएटशिप कोर्स इन फूट टेक्नालॉजी को उच्चीकृत कर इसमें डेयरी, सीरीयल, ऑयल, एवं मीट प्रसंस्करण की विधाओं का समावेश कर इसे एम.एस–सी (फूड टेक्नालॉजी) के पाठ्यक्रम के रूप में चलाये जाने के सम्बन्ध में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ ने अपने पत्राँक शोध 1078/सम्बद्धता/लखनऊ, दिनाँक 25–09–2009 **(संलग्नक – 05 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है)** द्वारा इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित किये जाने तथा सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया है।

वर्तमान में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ में एक रोजगार परक दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएटशिप कोर्स (फल एवं सब्जी तकनीकी) का संचालन किया जा रहा है जिसे कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी–एच.डी. में शोध कार्यों हेतु एम.एस–सी. (ए.जी.) (उद्यान

विज्ञान) के समकक्ष की मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष रसायन विज्ञान के साथ बी. एस–सी./ बी.एस–सी. (ए.जी.) उत्तीर्ण 30 (तीस) छात्रों को प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। उक्त छात्रों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें रसायन, जीव रसायन, फूड टेक्नालॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्रशिक्षण अनुभाग, खाद्य अभियन्त्रीकी तथा पैकेजिंग अनुभाग में शोध/प्रशिक्षण कार्यों हेतु मशीन/उपकरण/रसायन से सुसज्जित प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं तथा संस्थान के पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें/जरनल्स/पीरियाडिक्लस आदि पाठ्य सामग्री की उपलब्धता है तथा लगभग 50 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उसके साथ लगभग 30 छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि संस्थान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को देश/प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की व्यापकता/विविधता को दृष्टिगत रखते हुए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तकनीकी तक सीमित न रख कर इसमें खाद्य प्रसंस्करण की सम्पूर्ण विधाओं यथा दुग्ध, फिशरी, पोलट्री, मीट, सीरियल, आयल आदि को सम्मिलित करते हुए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय और किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करायी जाय।

अतः शासन के निर्देशों के अनुरूप संस्थान के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्थान पर संस्थान में चलाये जाने हेतु प्रस्तावित एम.एस–सी. (फूड टेक्नालाजी) को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु संस्थान का पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया गया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप संस्थान के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्थान पर संस्थान में चलाये जाने हेतु प्रस्तावित एम.एस–सी. (फूड टेक्नालाजी) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय तथा कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.06

दिसम्बर, 2007/जून, 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री दिये जाने हेतु सूची अनुमोदन एवं तिथि निर्धारण पर विचार

दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित न किये जा सकने के कारण डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा उपाधि नहीं दिया जा सका। ऐसे विद्यार्थियों को उपाधि दिया जाना है। उपाधि दिये जाने वाले विद्यार्थियों

की सूची अनुमोदन करने एवं उपाधि पर तिथि निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्यक्रम–वार विद्यार्थियों की सूची बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

"डिग्री/डिप्लोमा उपाधि दिये जाने हेतु कार्यक्रमवार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संख्या से सम्बन्धित सूची परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं तिथि निर्धारण पर विचारार्थ प्रस्तुत किया। ***(संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है)***

"निश्चय किया गया कि दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित न किये जा सकने के कारण डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डप्लोमा/प्रमाण–पत्र दिये जाने वाली प्रस्तुत सूची का अनुमोदन किया जाय एवं दी जाने वाली उपाधि पर कार्य परिषद् की आगामी बैठक की तिथि दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 का अंकन किया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.07

चौथे दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर, 2008/जून 2009 के परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री दिये जाने हेतु सूची के अनुमोदन पर विचार

दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को होने वाले विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2008 एवं जून 2009 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि प्रदान किया जाना है। कार्यक्रम–वार विद्यार्थियों की सूची बैठक में उपलब्ध करायी जायेगी।

"डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि दिये जाने वाले कार्यक्रमवार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से सम्बन्धित सूची परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। ***(संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है)***

निश्चय किया गया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूची को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.08

चौथे दीक्षान्त समारोह में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार स्वर्ण पदक दिये जाने पर विचार

दिनाँक 09–01–2010 को आयोजित होने वाले चौथे दीक्षान्त समारोह में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में निर्धारित नियमों के अनुसार स्वर्ण

पदक प्रदान किया जाना है। पूर्व निर्धारित नियम **संलग्नक – 08 पृष्ठ संख्या .** पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और दान–दाता स्वर्ण पदक दिया जाना है।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने से सम्बन्धित सूची प्रस्तुत की गयी तथा विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया। *(संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है)*

"निश्चय किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि पुराने छात्रों को भी स्वर्ण पदक दीक्षान्त समारोह के बाद दिये जाने की व्यवस्था की जाय।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.09

M.Phil और Ph.D. उपाधि के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार

विश्वविद्यालय में पूर्व से M.Phil. और Ph.D. कार्यक्रम संचालित हैं एवं कुछ शिक्षार्थियों ने इन कार्यक्रमों को पूर्ण कर लिया है। इन कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को उपाधि दिया जाना है। दिये जाने वाले उपाधियों के प्रारूप **संलग्नक 10 व 11 पृष्ठ संख्या** पर उपलब्ध है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया गया कि M.Phil. और Ph.D. उपाधि के प्रारूप को स्वीकार किया जाय तथा कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

अतिरिक्त कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.10

श्री राकेश चन्द्र यादव को विश्वविद्यालय द्वारा डी.फिल उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति के आदेश से अवगत होना

श्री राकेश चन्द्र यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा विद्या शाखा में विश्वविद्यालय के प्रथम शिक्षार्थी के रूप में जनवरी, 2004 में नामांकन कराया था। शोध प्रबन्ध जमा करने के पश्चात् प्राप्त आख्याओं पर विचारोपरान्त दिनाँक 16–11–2008 को श्री यादव की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी गयी। मौखिकी की प्राप्त आख्या के आधार पर श्री राकेश चन्द्र यादव को डी.फिल की दिनाँक 31–12–2008 को

माननीय कुलपति जी के आदेश से अस्थाई प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। श्री यादव इस विश्वविद्यालय के पहले डी.फिल उपाधि धारक छात्र हैं।

"श्री राकेश चन्द्र यादव को विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से विद्या परिषद् अवगत होते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

अतिरिक्त कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.11

दीक्षान्त समारोह में अनुपस्थिति अभ्यर्थियों को उपाधि/डिप्लोमा के प्रेषण पर विचार

कार्यपरिषद् ने दिनॉक 29–03–06 को अपनी 24वी बैठक के संकल्प संख्या 12 के अन्तर्गत दीक्षान्त समारोह में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को रु. 100/– विहित शुल्क लेकर उपाधि/डिप्लोमा दिये जाने का निर्णय लिया था तद्नुसार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपाधि/डिप्लोमा दी जाती रही है। विगत तीन दीक्षान्त समारोहों में अधिक संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे जिससे उनकी उपाधियों अद्यतन नहीं दी जा सकी। ऐसे छात्रों के उपाधि/डिप्लोमा अद्यतन विश्वविद्यालय में रखे गये है। विगत दो वर्षो में दीक्षान्त समारोह न होने के कारण उन वर्षो की उपाधियॉ भी छात्रों को प्रेषित की जानी है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

जो छात्र डिग्री/डिप्लोमा किन्हीं कारणों से न ले जा सके हों उनको विश्वविद्यालय खर्च पर डाक द्वारा प्रेषित कर दिया जाय।

अतिरिक्त कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.12

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अपर राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 09–12–09 पर विचार

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने पर निरन्तर बल दिया जा रहें है। इन शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अपर राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 09–12–09 का पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र की प्रति विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। **(संलग्नक–12 पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है)**

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"प्रो. एस.पी. गुप्ता निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा द्वारा सम्बन्धित प्रकरण पर दिनाँक 14–12–2009 को शासन स्तर पर सम्पन्न हुए बैठक के प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि शासन द्वारा बैठक में प्रश्नगत प्रकरण पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

निश्चय किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय। प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु विद्या परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से प्रो. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को अधिकृत किया जाय।"

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

कुलसचिव

संलग्नक -02

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 08 जनवरी, 2010 को अपराह्न 12:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2	प्रो. ए.के. गुप्ता, पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास, विनयक इन्क्लेव, इलाहाबाद	सदस्य
3	डॉ. जोखन सिंह, पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल, ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
4	प्रो. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

8. डॉ. नागेन्द्र यादव, — सदस्य
उपाचार्य, प्रबन्धन अध्यान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

9. डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, — सदस्य
उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10 श्री अच्छे लाल, — सदस्य
प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. श्रीमती मीरा पाल, — सदस्य
प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. आर.पी.एस. यादव — विशेष आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. श्री एम.एल कनौजिया, — सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) डॉ. सी.एल. क्षेत्रपाल,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स,
एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ

(2) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(3) प्रो. पी.आर. अग्रवाल,
स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट इस्टडीज,
एम.एन.एन. आई.टी., इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य डॉ. जोखन सिंह, पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य का परिचय परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.01

दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2008/जून 2009 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार

दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2008/जून 2009 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में 4963 डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 622 सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पूर्ण सूची **(संलग्नक 01 के रूप में उपलब्ध है)** के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.02

दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार

दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि दिसम्बर 2007/जून 2008 की परीक्षा में 4438 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित न किये जा सकने के कारण डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डप्लोमा/प्रमाण–पत्र दिये जाने वाली पूर्ण सूची **(संलग्नक 02 के रूप में उपलब्ध है)**को अंगीकृत किया जाय एवं दी जाने वाली उपाधि पर पिछले कार्य परिषद् की बैठक की तिथि दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 का अंकन किया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि इसे कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.03

दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को सम्पन्न होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना

दिनाँक 09 जनवरी, 2010 को सम्पन्न होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत हुई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)

कुलसचिव

नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुसरण में सत्र 2010–11 से निम्न पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है–

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम Name of the Programme	अवधि (वर्षो में) Durations (in Year		माध्यम Medium of Instruction (H/E)	कार्यक्रम शुल्क Programme Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता Minimum Qualification for admission
		Min.	Max.			
(अ)प्रमाण–पत्र कार्यक्रम Certificate Programmes						
1.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में बहुआयामी प्रवेश एवं निकास में प्रमाण पत्र Multiple Entry & Multiple Exit in Professional Certificate Course	1/2	2	H	2100	10+2
*2.	संस्कृत में प्रमाण पत्र Certificate in Sanskrit	1/2	2	H	1500	10+2
*3.	भारतीय संस्कृति में प्रमाण पत्र Certificate in Indian Heritage	1/2	2	H	1500	10+2
*4.	ज्योर्तिविज्ञान में प्रमाण पत्र Certificate in Jyotirvigyan	1/2	2	H	1500	10+2
*5.	Certificate in e-Business	1/2	2	H/E	1500	10+2
6.	Certificate in Educational Testing	1/2	2	H/E	1500	10+2
7.	Certificate in Poly/Prakrit	1/2	2	H	1500	10+2
8.	Certificate Programme in early childhood in Special Education Enabling inclusion	1	3	H/E	4500	10th Standard Pass
9.	Certificate in Research Methodology	1/2	2	H/E	2100	Graduate
(ब)डिप्लोमा पाठ्यक्रम Diploma Programmes						
**10.	संस्कृत में डिप्लोमा Diploma in Sanskrit	1	3	H	2500	10+2
**11.	भारतीय संस्कृति में डिप्लोमा Diploma in Indian Heritage	1	3	H	2500	10+2
**12.	ज्योर्तिविज्ञान में डिप्लोमा Diploma in Jyotirvigyan	1	3	H	2500	10+2
**13.	Diploma in e-Business	1	3	H/E	3000	10+2
(स)स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम P.G. Diploma Programmes						
14.	समाज कार्य में डिप्लोमा P.G. Diploma in Social Work	1	3	H	4000	Graduate
(द)स्नातक कार्यक्रम Bachelor Programme						
15.	Bachelor of Social Work	3	6	H	2500	10+2

नोट –1. * एवं ** चिन्हित वाले कार्यक्रमों का संचालन माडयूलर सिस्टम पर आधारित है।

2. क्रम सं. 8 पर अंकित कार्यक्रम के संचालन हेतु आर.सी.आई., नई दिल्ली से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

3.कृषि अध्ययन में प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की प्रकिया अपने अन्तिम चरण में है।

भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment)

सं/No.....16-3/SOCE/CEC/08-RCI-IGNOU

दिनांक/Date...15...Feb.,.2010.....

Secretary/Director
Uttar Pradesh Rajshri Tandan Open University,
17, Maharshi Dayanand Marg, Thornhil Road,
Allahabad – 211001

Sub: Request to send your consent to act as programme Study Centre for Awareness Cum Training package (HI) & Certificate in Early Childhood Special Education Programme (MR/HI/VI)– reg.

Madam/Sir,

The Rehabilitation Council of India in collaboration with IGNOU has launched Awareness Cum Training package (MR/VI/CP) (for Parents/family members/relatives) in the year 2006. It was decided by the Council to upgrade the existing Awareness Cum Training packages to a Certificate Level Programme. The nomenclature of the Programme is Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion in four major disability Areas (HI/VI/MR/CP).

Now the programmes are under development and will be launched in July 2010 / January 2011 session through IGNOU. As your institute is one of the recognized centers of RCI for conducting the Disability Rehabilitation Programme through Regular Mode, the Council is pleased to offer your institute to act as a Programme Study Centre for the above said Certificate Programme. You are requested to kindly intimate us your consent along with the filled up Performa (Copy enclosed) either through fax, E-mail or Speed Post to the Council at the earliest.

A brief note about of the above said Certificate Programme is hereby enclosed for your information.

Thanking you

Yours sincerely,

(Dr. J. P. Singh)
Member Secretary

Encl: As Stated Above.

बी - 22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016
B - 22, Qutub Institutional Area, New Delhi - 110 016
Ph.: 011-2653 2408, 265 32816, 2653 2384, 2653 4287, Fax : 011-2653 4291
E-mail : rehabstd@ndc.vsnl.net.in E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in
Visit us at :- www.rehabcouncil.nic.in

APPLICATION FORM FOR CONDCUTING AWARENESS CUM TRAINNIG PACKAGE & CERTIFICATE IN EARLY CHILDHOOH SPECAIL EDUCATION-ENABLING INCLSUION (HI/VI/MR)

1.	Name & Address of the Institution	
2.	Whether the institution is registered, if so, please attach the copy of the registration certificate	
3.	Nature of the Institution and area of specialization i.e. Visual Impairment, Hearing Impairment, Mental Retardation	
4.	Describe in detail about the staff and other infrastructure available for the services /training offer by the Institute (Attach Separate sheet)	
5.	Number of qualified faculty members with their qualification, area of specialization, experience and registration no. of RCI (If any)	
6.	No. of Guest faculty with their qualification, area of specialization etc.	
7.	Whether the institution is getting financial assistance from govt. of India/State Govt./ Un Funding Agency or any other sources (If any please specify)	
8.	Details about the training conducted by the organization in disability area in the past.	
9.	No. of NGO Special School in the area working for other disability who can provide necessary help.	
10	Please describe in brief about how will you conduct the said course.	
11.	Any other information (Mention on separate Sheet)	

I hereby certify that all the facts given are true to the best of my knowledge & belief, and accept to become a Programme Centre of RCI for conducting different training programme from time to time as per the RCI norms.

Date:
Place:

Signature:
Name:
Designation:

3. Introduction to the Awareness-cum-Training Packages in Disability

As an organization working in the field of disability, you have been playing a crucial role in facilitating the all round development and inclusion of persons with disabilities. The Awareness-cum-Training Packages in Disability will strengthen your efforts towards this end.

The Awareness-cum-Training Packages are available **in the areas of Mental Retardation, Visual Impairment and Cerebral Palsy.**

3.1 Aims and Objectives of the Programme of Study

The aim of the Awareness-cum-Training Packages is to equip the parents and family members of individuals with disabilities with the knowledge, attitudes, strategies and skills so that they are better equipped to foster the multi-faceted development of those in their care, and can have a positive influence on their lives. The hope is that this orientation and sensitization would not remain restricted to parents and family members, but would get comunicated to all, paving the path for a more inclusive society.

The specific objectives of the Awareness-cum-Training Packages in Disability are:

- To develop an understanding about disability and an attitude of sensitivity and empathy towards persons with disabilities;
- To develop awareness about the importance of prevention and early detection of disabilities;
- To develop the conviction that the child with disability can learn and benefit from early stimulation and education;
- To develop awareness about strategies and methods for early stimulation, training and education of the child with disability, so as to foster the child's optimal development in all areas — including the development of physical, motor, mental (cognitive), social and communication abilities;
- To develop awareness about how the person with disability may be helped to acquire basic self-help skills with respect to activities of daily living;
- To develop an understanding about how to manage difficult behaviours in the person;
- To know about the various educational options available in the country for education of children with disabilities,
- To facilitate inclusion of the child in the preschool and the primary school;
- To develop awareness about adaptations in teaching-learning strategies, methodologies, materials and curriculum, that would benefit the child with disability;
- To develop awareness about viable avenues for economic rehabilitation and some strategies for training the person for a suitable vocation.

3.2 Programme Content

The transaction of the Awareness-cum-Training Packages in Disability with the parents and family members is based on a **combination of print material-based learning and face-to-face contact sessions. The print material is self-instructional in nature.**

The course material on Mental Retardation consists of 20 printed Units; the material on Visual Impairment of 13 printed Units and that on Cerebral Palsy of 28 printed Units. The titles of Units comprising the print material of the three Awareness-cum-Training Packages in Disability are given at Annexure 1. In IGNOU terminology, each chapter is referred to as a 'Unit' and a collection of Units is called a 'Block'. One set of this self-instructional course material shall be provided to each learner who enrolls for an Awareness-cum-Training Package. The text is supplemented with pictures and illustrations for providing greater clarity and ease of understanding. In order to enable the learners to understand the text as well as to provide individualized guidance and practical training to the learners regarding carrying out various activities with the child, a **face-to-face programme of a minimum of five days (equivalent to a minimum of 40 hours) will be organized by the Implementing Organization.** The Implementing Organizations are organizations whose applications have been approved by RCI and IGNOU for the implementation of the Awareness-cum-Training Packages in Disability and who have therefore enrolled learners (i.e., parents or family members of children with disabilities) for this programme of study.

In the course of the contact programme, contact sessions will be organized wherein discussions, demonstration of activities and practicals pertaining to the various topics covered in the course material will be conducted. The scheduling of these contact sessions will be spread over the entire duration of the implementation period of three months. A schedule of organizing these contact sessions for each of the three Awareness-cum-Training Packages, including the minimum duration of time to be devoted to each topic, is given in the Programme Guide which will accompany the printed self-instructional material.

3.3 Medium of Instruction : The Awareness-cum-Training Packages on Visual Impairment and Mental Retardation are available in English, Hindi, and Tamil medium, while the Package on Cerebral Palsy is available in English only.

3.4 Duration : The Programme duration is 3 months, including the contact programme of 40 hours (5 days) spread over this three-month period.

3.5 Programme Fees : The cost of course material with respect to each Disability Package is Rs. 210/-, including the cost of the form. The 40 hours contact programme, which is an integral part of the programme of study, would be organized by the organization that has enrolled the learners. No extra amount will be charged by the organization from the parents for contact sessions.

3.6 Implementation : The Awareness-cum-Training Packages are to be implemented and delivered through selected organizations working in the field of disability. **Interested organizations may apply using the Application Form given at Annexure 2.** The applications will be scrutinized by RCI and IGNOU and the approved organizations will be the Implementing Organizations for the Awareness-cum-Training Packages in Disability. These organizations will be responsible for enrolling the learners, organizing the contact programme and helping the learners

understand the course material and apply the various strategies and techniques with respect to their child. **Thus, these Implementing Organizations will** provide practical training and continuous support to the parent learners, and **act as the nodal points for the implementation of the Awareness-cum-Training Packages.**

Any reputed non-governmental or governmental organization or institution working in the field of disability, including special schools, can apply to be the Implementing Organization (I.O.) with respect to one or more of the Awareness-cum-Training Packages in Disability (Mental Retardation/ Visual Impairment/ Cerebral Palsy), provided that

1. It should be confident of being able to enroll 15-20 parents and family members of children with disabilities, for each of the Packages per cycle;
2. It should be committed to organizing the contact programme of 40 hours during the 3-month period for the learners enrolled, and provide them continuous support, free of cost; and
3. It should have the necessary infrastructure for implementing the programme, which would include having adequate space and seating arrangement. It should also possess the requisite materials and equipment. The details of the same are contained in the Application Form given at Annexure 2.

3.7 Eligibility : The Awareness-cum-Training Packages in Disability are meant for parents and family members of children with disabilities. **The I.O. must enroll those parent learners who are proficient in reading and understanding printed materials, and have writing ability at a minimum level of Standard VIII.** In case a person has not studied upto class VIII but has the reading, understanding and writing ability upto that level, the I.O. may consider enrolling such a person.

3.8 Enrolment : The programme is being implemented through organizations and institutions working in the field of disability. Therefore, interested parents and family members of children with disabilities would need to get in touch with an organization in their area that is implementing these Packages, and enroll through it. All the forms etc. would be available with the Implementing Organizations.

School of Continuing Education
IGNOU

CERTIFICATE PROGRAMMES IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION ENABLING INCLUSION

The Certificate Programmes in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion are four collaborative programme of the IGNOU and Rehabilitation Council of India. (RCI). The Certificate programmes are being developed in four areas Cerebral Palsy, Mental Retardation, Visual Impairment and Hearing Impairment.

This Certificate Programmes will equip the learners to work as a member of an interdisciplinary team providing early intervention and education to children up to the age of 6 years, in a variety of settings such as inclusive set ups, integrated set ups and special schools. The successful completion of the programme will enable the learners to register as "personnel" in category B in the Central Rehabilitation Register of RCI. The Programmes will equip the learner to provide inputs for early childhood intervention and education of the following nature:

- Screening children for disabilities, referrals and prevention
- Facilitating the development of a positive attitude and sensitivity among the family members, peers, teachers and other professionals with respect to the children with disabilities.
- Carrying out activities for early intervention and education so as to foster the all round development of the child from birth to six years, including development of physical, motor, cognitive, language, socio-emotional and self help abilities
- Facilitating inclusion of the child in the home, school and community

PROGRAMME STRUCTURE

There are 4 separate Certificate Programmes of 24 credits each. There names are:

1. Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion (Cerebral Palsy)
2. Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion(Mental Retardsation)
3. Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion (Visual Impairment)
4. Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion (Hearing Impairment)

Each Certificate Programme in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion comprises of both Theory and Practical in the form of Project Work, in

the ratio of 50:50. This works out to 12 credits of theory and 12 credits of Project Work. In terms of hours, it is 360 hours of theory and 360 hours of practicum.

There will be three compulsory courses (2 Theory Courses + 1 Practical Paper, called Project Work) for each Certificate programme, The three Courses along with the credit weightage is as follows:

1	Foundations of Early Childhood Development and Disability (Theory)	6 Credits
2	Early Childhood Education for Children with Cerebral Palsy (CP)/Mental Retardation (MR)/Visual Impairment (HI)/ Hearing Impairment (HI)	6 Credits
3	Project Work with Children with Cerebral Palsy (CP)/Mental Retardation (MR)/Visual Impairment (HI)/ Hearing Impairment (HI)	12 Credits
	TOTAL	**24 Credits**

There will be one assignment per theory course which is compulsory. 100% of the Project Work has to be completed and certified by the respective staff of the Work Centre prior to the evaluation by the external examiner at the Work Centre and submission of the Project Work File to IGNOU for evaluation.

CREDIT WEIGHTAGE AND DUARTION

The duration of each Certificate Programme is of minimum 1 year and maximum 3 years worth 24 credits totaling 720 study hours.

MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATION

English in July 2009 and English & Hindi in January 2010

ELIGIBILITY

10th Standard Pass. 70% of the seats reserved for parents/family members of children with disability and those with direct experience of disability and/or those who have completed the Awareness cum training packages. The rest of the 30% seats will be open.

PROGRAMME FEE

The total fees for the programme is Rs.4,500/-

IMPLIMENTATION OF THE PROGRAMME

In the July 2009 session, the Certificate in Early Childhood Special Education, Enabling Inclusion is proposed to be implemented through selected organizations working in the field of disability, as directed by RCI. These Implementing Organization's (IO), called work centers, will enroll students on behalf of IGNOU, collect fees specified and submit the same through demand draft to IGNOU.

Admissions will take place twice a year although the IO is free to enroll once/twice a year. Subsequently, in the following year the programme will be advertised to be implemented through IGNOU study centers and RCI approved institutions as work centres.

ATTENDANCE

80% attendance in theory based counseling session is essential for appearing for the term-end examination.

EVALUATION METHODOLOGY

The evaluation methodology will involve theory term end examination and evaluation of Project Work.

The theory component will be evaluated through

- Continuous assessment through assignments (internal assessment) – 30% weightage
- Term-end assessment of Course 1 and Course 2 through term-end examination (external assessment) – 70% weightage .

There will be two theory term-end examinations – one based on the Foundation Course and one based on the Disability Specific Course. The first theory examinations will be conducted after the completion of the Academic Session of one year duration.

The Project work has three or four parts, depending on the disability area. - Part A, Part B, Part C and Part D. Each Part is to be completed separately. The student has to pass in both the external (at work centre i.e.RCI recognized institution) and internal evaluation (evaluation of Project file at IGNOU) of each of the three or four parts of the Project Work.
If a student does not pass in a particular part, only that part has to be repeated.

The Evaluation of each Part of the Project Work is as follows:

1	Conduct of Project Work throughout the year at Work Centre (external assessment); include viva-voce by external examiner at work centre	70% weightage
2	Submission of Project record in the form files to IGNOU Head Quarters (internal assessment)	30% weightage

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संलग्नक -04

रात्र जुलाई 2010--11 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश शुल्क को निर्धारित एवं संशोधित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक कुलपति जी के कक्ष में दिनॉक 29.03.2010 को सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत निम्नवत है:--

उपस्थित सदस्य:--

1. डॉ एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा
2. डॉ बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा
3. डॉ एम.एन. सिंह, निदेशक,समाज विज्ञान विद्याशाखा
4. श्री एम.एल. कनौजिया, कुलसचिव
5. डॉ. आर.पी.एस. यादव, परीक्षा नियंत्रक
6. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष
7. डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्याशाखा
8. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, प्रवक्ता, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा
9. डॉ. गिरीश कुमार द्विवेदी, प्रभारी, प्रवेश अनुभाग
10. श्री ए.एन. सिंह, परामर्शी, लेखा

(आमंत्रित सदस्य)

बैठक में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

1. प्रवेश शुल्क की संरचना में विश्वविद्यालय स्थापना के समय से विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सामान्यतया संशोधन नहीं किया गया था। अतः स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा, सामान्य डिप्लोमा एवं प्रमाण - पत्र (सामान्य) कार्यक्रमों के शुल्क में पर्याप्त भिन्नता थी, एवं इसी प्रकार व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के शुल्क में भी पर्याप्त असमानता थी। इस दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम शुल्क को संशोधित करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
2. रात्र 2010--11 में प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में विभेद न करते हुए, इन तीनो प्रकार के शुल्क को कार्यक्रम शुल्क के रूप में एक साथ लेने की संस्तुति की गई।
3. समिति द्वारा संस्तुत संशोधित कार्यक्रम शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

सत्र 2010–11 से संस्तुत संशोधित कार्यक्रम शुल्क का विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों का नाम	सत्र 2009–10 तक लागू शुल्क का विवरण			सत्र 2010–11 में संस्तुत शुल्क का कार्यक्रमवार विवरण
		कार्यक्रम शुल्क	पंजीकरण शुल्क	परीक्षा शुल्क	
1	2	3	4	5	6
1	BA	1600	200	600	2500
2	B.Com	1600	200	600	2500
3	BA in Tourism	2000	200	600	2500
4	B.Sc	3500	200	600	4300
5	UGSS (Art.)	1000	200	400	2000
6	UGSS (Sci.)	2400	200	400	3500
7	BCA	8000	200	800	9200
8	BBA	6000	200	800	7000
9	BLIS	5000	200	600	6000
10	B.Ed.	12000	200	1100	15000 सत्र 2011--12 से लागू
11	B.Ed. (SE)	6000	200	1100	7500 सत्र 2011--12 से लागू
12	MA	3500	200	800	4800
13	M.Com	4000	200	800	4800
14	M.Sc(Biochemistry & Statistics)	5000	200	800	6000
15	MLIS	8000	200	800	9200
16	MJ	5000	200	800	4000
17	MCA	12000	200	1000	13500
18	M.Sc(Computer Science)	8000	200	800	9200
19	MBA	8000	200	1000	9500
20	PGDT	2000	200	400	3000
21	PGDCWH	2000	200	400	3000
22	PGDEA	4500	200	400	5500
23	PGD-ESD	4000	200	400	5500
24	PGDEM & FP	5000	200	400	5500
25	PGDVGCC	2000	200	400	3000
26	PGDDE	3500	200	400	5500
27	PGDFH	2000	200	400	3000
28	PGDJMC	3000	200	400	4000

1	2	3	4	5	6
29	PGDRJMC	3000	200	400	3000
30	PGDFM	3000	200	1000	4500
31	PGDIMB	2500	200	1000	4500
32	PGDMM	5000	200	1000	6000
33	PGDPM	4500	200	1000	6000
34	PGDHRD	4500	200	1000	6000
35	PGDCA	12000	200	1000	13500
36	PGPD	5000	200	1100	7000 सत्र 2011–12 से लागू
37	DHEN	1600	200	400	2500
38	DTS	2500	200	400	3200
39	DRD	2500	200	400	3200
40	DCDN	3500	200	400	4200
41	DECE	2000	200	400	2500
42	DFD	3500	200	400	4200
43	DTD	3500	200	400	4200
44	DIP	2500	200	400	3200
45	DHA	2500	200	400	3200
46	DIC	8000	200	700	6000
47	DCOM	5000	200	700	6000
48	DIHT	8000	200	700	6000
49	CPHT & VA	1500	200	300	2100
50	CCMAP	1500	200	300	2100
51	CLPS	1500	200	300	2100
52	CTS	1200	200	300	2100
53	CCCN	800	200	300	1500
54	CNF	800	200	300	1500
55	CCP	800	200	300	1500
56	CHR	800	200	300	1500
57	CDM	800	200	300	1500
58	CHFE	1000	200	300	1500
59	CWED	1500	200	300	2100
60	CCY	1000	200	300	1500
61	CCTT	800	200	300	1500
62	CTEIM	1500	200	300	2100
63	CAC	1000	200	300	1500
64	CFD	1500	200	300	2100
65	CTD	1500	200	300	2100
66	CRJMC	1000	200	300	1500
67	CCC	3000	200	500	4000

1. सत्र 2010--11 के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों से संशोधित शुल्क लेने की संस्तुति की गई।

2. पुनः पंजीकरण हेतु सम्बन्धित कार्यक्रम के कुल शुल्क का 20% लेने एवं इसकी वैधता पंजीकरण अवधि से 1 वर्ष के लिए मान्य करने की संस्तुति की गई।बी.एड, बी.एड (एस.ई.) एवं पी.जी.पी.डी. कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा होने के कारण एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा आवंटित सीटो के सापेक्ष प्रवेश दिया जाता है अतः इन कार्यकमा में पुनः प्रवेश न देने की संस्तुत की गई। पंजीकरण शुल्क का संशोधित विवरण निम्नवत है:–

सत्र 2010–11 से पुनः प्रवेश हेतु संस्तुत संशोधित कार्यक्रम शुल्क का विवरण

क..सं.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यकगों का नाग	सत्र 2009–10 तक लागू पुनः पंजीकरण शुल्क का विवरण	सत्र 2010–11 गें संस्तुत पुनः पंजीकरण शुल्क का कार्यकमवार विवरण
1	2	3	4
	स्नातक कार्यक्रम		
1	BA	350	500
2	B.Com	350	500
3	BA in Tourism	400	500
4	B.Sc	700	860
5	UGSS (Art.)	350	400
6	UGSS (Sci.)		700
7	BCA	1600	1840
8	BBA		1400
9	BLIS	450	1200
	स्नातकोत्तर कार्यक्रम		
10	MA	700	960
11	M.Com	700	960
12	M.Sc(Biochemistry & Statistics)		1200
13	MLIS	650	1840
14	MJ	1250	800
15	MCA	1000	2700
16	M.Sc(Computer Science)		1840
17	MBA	1000	1900
	पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम		
18	PGDT	350	600
19	PGDCWH	300	600
20	PGDEA	1150	1100
21	PGD-ESD		1100
22	PGDEM & FP		1100

1	2	3	4
23	PGDVGCC		600
24	PGDDE		1100
25	PGDFH		600
26	PGDJMC	600	800
27	PGDRJMC		600
28	PGDFM	600	900
29	PGDIMB	500	900
30	PGDMM		1200
31	PGDPM		1200
32	PGDHRD		1200
33	PGDCA	1100	2700
	सामान्य डिप्लोमा कार्यक्रम		
34	DHEN	350	500
35	DTS	500	640
36	DRD	500	640
37	DCDN	700	840
38	DECE	500	500
39	DFD	800	840
40	DTD	800	840
41	DIP		640
42	DHA		640
43	DIC	1600	1200
44	DCOM	1000	1200
45	DIHT		1200
	प्रमाण– पत्र कार्यक्रम		
46	CPHT & VA		420
47	CCMAP		420
48	CLPS		420
49	CTS	600	420
50	CCCN	400	300
51	CNF	300	300
52	CCP	300	300
53	CHR	300	300
54	CDM	400	300
55	CHFE	1700	300
56	CWED	400	420
57	CCY		300
58	CCTT		300
59	CTEIM		420
60	CAC		300
61	CFD		420
62	CTD		420
63	CRJMC		300
64	CCC	750	800

3. नॉन – क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों के शुल्क के साथ ही परीक्षा शुल्क सम्मिलित करने एवं कार्यक्रम शुल्क के स्थान पर पाठ्य सामग्री शुल्क नाम देने की संस्तुति की गई। सत्र 2010–11 से इस कार्यक्रम में परीक्षा का आयोजन अधिन्यारा के मूल्यांकन के आधार पर किये जाने की संस्तुति की गई, जो निम्नलिखित प्रकार से वर्णित है:–

<u>सत्र 2010–11 से नान–क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम हेतु संस्तुत संशोधित कार्यक्रम का विवरण</u>

क्र.सं.	जगरूकता कार्यक्रम का कोड	2009–2010 तक लागू		रात्र 2010–11 के लिए संस्तुत
		कायक्रम शुल्क	परीक्षा शुल्क	पाठ्य सामग्री शुल्क
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	APPR	300	100	400
2	APY	700	100	800
3	APDF	500	100	600
4	APCCN	500	100	600
5	APNF	500	100	600
6	APHFE	500	100	600

4. बैक शिक्षार्थियों के लिए रू 300/– प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करने की संस्तुति की गई।
5. माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए रू 150/– के स्थान पर रू 200/– लेने की संस्तुति की गई।
6. प्रोविजनल सर्टिफिकेट शुल्क रू 50/– के स्थान पर रू 100/– लेने की संस्तुति की गई।
7. शेष सभी विभिन्न प्रकार के शुल्क विगत वर्षो की भाँति यथावत रखने की संस्तुति की गई।

(डॉ एस.पी. गुप्ता,) (डॉ बी.एन. सिंह) (डॉ एम.एन. सिंह) (श्री एम.एल. कनौजिया)

(डॉ. आर.पी.एस. यादव,) (डॉ. टी.एन. दुबे) Iti Tiwari (डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी) (डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी)

(डॉ. गिरीश कुमार द्विवेदी,) (श्री ए.एन. सिंह)

शुल्क परिवर्तित करने का औचित्य

1. बी.ए., बी.काम. एवं बी.ए. पर्यटन के फीस संरचना में समानता एवं प्रश्न–पत्रों की संख्या समान होने के कारण शुल्क को एक समान किया गया है।
2. बी.एस.सी. प्रयोगात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त उपकरणों एवं सामग्रियों के मंहगे होने के कारण अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धि उपयुक्त।
3. बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. में 25% अतिरिक्त परामर्श कक्षाओं के कारण, पाठ्य सामग्री मुद्रण खर्च में वृद्धि होने के कारण एवं प्रयोगात्मक कार्य में अधिक व्यय होने के कारण।
4. एम.काम. एवं एम.ए. फीस में समानता एवं सत्र 1999 से शुल्क में वृद्धि न होना।
5. पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में प्रश्नपत्रों के अनुपात में शुल्क की समानता को बनाए रखने हेतु एवं कार्यक्रम के साथ ही उपाधि शुल्क लेने के कारण आंशिक शुल्क में वृद्धि की अनुशंसा की गई है।
6. एम.जे. एवं पी.जी.डी.जे.एम.सी. के समान पाठ्य संरचना होने के कारण शुल्क में असमानता तर्कसंगत नही है। अतः शुल्क को कम करने की सहमति बनी।
7. डी.आई.सी. एवं डी.आई.एच.टी. एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुल्क डिग्री कोर्स से अधिक होने के कारण तर्कसंगत नही है, जबकि इसमें प्रश्न पत्रो की संख्या डिग्री पाठ्यक्रमों से कम है।
8. पी.जी.डी.आर.जे.एम.सी. कार्यक्रम को जनमानस तक सर्व सुलभ कराने हेतु एवं ग्रामीण अंचलो के शिक्षार्थी इस पाठ्यक्रम से लाभन्वित हो, इसलिए शुल्क कम करने हेतु सहमति बनी।
9. दो वर्ष पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों जैसे बी.बी.ए, एम.एस.सी. (जैव रसायन व सांख्यिकी) इत्यादि पाठ्यक्रमों के शुल्क में कोई संशोधन नही किया गया है।

निष्कर्ष स्वरूप आम सहमति के आधार पर सन – 1999 से शुल्क में वृद्धि का न होना, पाठ्य सामग्री मुद्रण व्यय में वृद्धि एवं इसी के साथ उपाधि शुल्क को सम्मिलित करने के कारण आंशिक वृद्धि की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है।

संलग्नक -05

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 27 मार्च, 2010 को अपराह्न 3.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न मान्यता बोर्ड की 09वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. नागेश्वर राव कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. हेमा जोशी सदस्य कार्यपरिषद् उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	प्रो. एस.पी. गुप्ता निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. बी.एन. सिंह निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. टी.एन. दूबे पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ ए. के. सिंह उपकुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ जी. के. द्विवेदी प्रभारी प्रवेश अनुभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
9.	श्री एम.एल. कनौजिया कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके

1.	डॉ. एम.एन. सिंह निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
2.	डॉ (श्रीमती) इति तिवारी उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया प्रवक्ता, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत कियां। विशेष रूप से प्रो. हेमा जोशी जी से सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु सख्या 9.01

मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 सितम्बर 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि

मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 01 सितम्बर 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु सख्या 9.02

मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक01 सितम्बर 2009 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

मान्यता बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनाँक 01 सितम्बर 2009 में लिए गए निर्णयों पर निम्नानुसार की गई कार्यवाही से अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
8.01	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 13 मई 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.02	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 13 मई 2009 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

8.03	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रुप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 55 आवेदन पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.04	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रुप से महाविद्यालयों को प्रेषित पत्र के अनुक्रम में प्राप्त 04 आवेदन पत्रों पर विचार	04 शासकीय/ अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	महाविद्यालयों को दिनांक 04.09.2009 को प्रेषित किया जा चुका है।
8.05	सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना हेतु पुनः प्राप्त 48 आवेदन पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या पर विचार	महाविद्यालयों/संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के अनुशंसा के अनुसार नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में संस्तुत कार्यक्रमों को दर्शाते हुए पत्र प्रेषित कर सूचित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण मण्डल द्वारा असंस्तुत महाविद्यालयो/संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाय।	नये केन्द्र के स्थापना हेतु संस्तुत कार्यक्रमो को दर्शाते हुए सम्बन्धित महाविद्यालयों/ संस्थाओं को पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा असंस्तुत महाविद्यालयों/ संस्थाओ को भी दिनॉक 05.09.09. को पत्र प्रेषित करते हुए सूचित किया गया है।
8.06	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रो द्वारा एवं पूर्व में गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्द्रो जो अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति मांगी थी, अतिरिक्त काग्रक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 52 अध्ययन केन्द्रो के निरीक्षण आख्या पर विचार।	ऐसे अध्ययन केन्द्रो को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत अतिरिक्त कार्यकमो की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर सूचित करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही जिन अध्ययन केन्द्रो को निरीक्षण मण्डल द्वारा अतिरक्त कार्यकम संस्तुत नही किया गया है उन्हे भी पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।	संस्तुत अतिरिक्त कार्यक्रमों के स्वीकृति के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र को दिनॉक 05.09.09 को पत्र प्रेषित किया गया है तथा अरांस्तुत अतिरिक्त कार्यक्रमो के सम्बन्ध में भी पत्र दिनॉक 05.09.09 को प्रेषित करते हुए केन्द्रों को सूचित किया गया है।

8.07	पूर्व में गठित निरीक्षरण मण्डल द्वारा छूट गये ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जो आवांटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, हेतु गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त 32 अध्ययन केन्दों के निरीक्षण आख्या पर विचार	ऐसे अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुत/असंस्तुत कार्यक्रमों को उल्लेख करते हुए पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।	सम्बन्धित केन्द्रों को संस्तुत/असंस्तुत कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए दिनांक 05.09.2009 को पत्र द्वारा सूचित किया गया है।
8.08	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों के संशोधन पर विचार	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों/चर्चा के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मानकों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।	कार्य परिषद् द्वारा संशोधित मानको के अनुमोदनोंपरान्त अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु विज्ञापन कराया जा चुका है।

कार्यसूची बिन्दु सख्या 9.03

सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों जो माह सितम्बर 2009 में प्राप्त हुए थे एवं जिनका निरीक्षण नहीं हो सका था, पर विचार

सत्र 2009–10 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु कुल 05 प्रस्ताव निर्धारित तिथि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त हुए थे जिससे इन प्रस्तावों पर निरीक्षण मण्डल द्वारा आख्या नहीं प्राप्त किया जा सका था। ऐसे प्रस्तावों के आवेदन कर्ताओं द्वारा अपने प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों को निम्न के अनुसार विभाजित किया गया है:–

क्रम संख्या	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	प्रस्तावों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	01	संलग्नक–01(अ) पृष्ठ संख्या– 08
2.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	02	संलग्नक–01(ब) पृष्ठ संख्या– 09
3.	संस्थान	02	संलग्नक–01(स) पृष्ठ संख्या– 10

संलग्न सूची के अनुसार नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर निर्णय कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.05 (पृष्ठ संख्या 05 पर) में उल्लेख है।

कार्यसूची बिन्दु सख्या 9.04

सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार

सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु कुल 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनको निम्नवत विभाजित किया गया है:–

क्रम संख्या	महाविद्यालय/संस्था का विवरण	प्रस्तावों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय	03	संलग्नक–02(अ) पृष्ठ संख्या– 11
2.	स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	07	संलग्नक–02(ब) पृष्ठ संख्या– 12–13
3.	संस्थान	05	संलग्नक–02(स) पृष्ठ संख्या– 14

सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु संलग्न सूची के अनुसार उल्लिखित महाविद्यालयों/संस्थानों का प्रस्ताव/आवेदन पत्र मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर निर्णय कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.05 (पृष्ठ संख्या 05 पर) में उल्लेख है।

कार्यसूची बिन्दु सख्या 9.05

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रम संचालन हेतु अनुमति दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन करने हेतु अनुमति मांगी गयी है। ऐसे 31 अध्ययन केन्द्रों की सूची **संलग्नक– 03** पर दी गयी है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु निरीक्षण मण्डल गठन किए जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.03, 9.04 और 9.05 में उल्लिखित प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों पर विचार किया।

निश्चय किया कि सत्र 2010–11 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07 अप्रैल 2010 तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं को विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.06

कतिपय अध्ययन केन्द्रों द्वारा आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों के संचालन सम्बन्धी प्रश्न पर विचार।

कतिपय अध्ययन केन्द्रों द्वारा आवंटित कार्यक्रमों के अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे 103 अध्ययन केन्द्रों की सूची **संलग्नक – 04 पृष्ठ संख्या 18–27** पर दी गयी है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु निरीक्षण मण्डल गठन किए जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

निश्चय किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों के कार्यक्रमों का गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा असंस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित शिक्षार्थियों को उन्हें अन्यत्र किसी नजदीक के अध्ययन केन्द्र जहाँ वह कार्यक्रम संचालित हो पर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाय तथा वर्ष 2010–11 के सूचना विवरणिका में यह उल्लेख किया जाय कि शिक्षार्थी अपने चयनित अध्ययन केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित कार्यक्रम में ही प्रवेश लें। यह भी निर्णय लिया गया कि गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा कार्यक्रमों के संस्तुत अनुशंसाओं से सम्बन्धित केन्द्रो को सूचित किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.07

अपेक्षित शिक्षार्थियों के अभाव में कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2010–11 में स्थगित किए जाने पर विचार

70 ऐसे अध्ययन केन्द्र हैं जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या अपेक्षा के अनुसार नहीं है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों का उल्लेख **संलग्नक – 05 पृष्ठ संख्या 28–32** पर किया गया है। चूँकि अपेक्षित संख्या में शिक्षार्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए ऐसे अध्ययन केन्द्रों का संचालन सम्प्रति स्थगित किए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

अतः यह प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

निश्चय किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 07 से 50 तक है, को एक पत्र प्रेषित कर उन्हें निर्देश दिया जाय कि आगामी सत्र से छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 9.08

शिक्षार्थियों की संख्या शून्य होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2010–11 से निरस्त किए जाने पर विचार

पूर्व से संचालित **141** अध्ययन केन्द्रों पर शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से चार है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों की सूची **संलग्नक – 06 पृष्ठ संख्या 33–46** पर दिया गया है। अतः ऐसे अध्ययन केन्द्रों के संचालन की मान्यता निरस्त किए जाने का प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

निश्चय किया की ऐसे 156 अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के संचालन को आगामी सत्र से स्थगित रखा जाय। यदि सम्बन्धित केन्द्र एक वर्ष के दौरान पुनः नियमानुसार प्रस्ताव/आवेदन करते हैं तो परीक्षण करके उन्हें बिना किसी शुल्क के अस्थायी मान्यता दे दिया जाय। आवेदन न किये जाने पर एक वर्ष के बाद ये केन्द्र स्वतः निरस्त समझे जायें।

यह भी निश्चय किया गया कि ऐसे निरस्त किये जाने वाले समस्त अध्ययन केन्द्रों के पंजीकृत शिक्षार्थियों को निकट के ऐसे अध्ययन केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जाय जहाँ पर सम्बन्धित कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आवांटित हो एवं सभी शिक्षार्थियों व सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को उनके स्थानान्तरण की सूचना दी जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

कुलसचिव

संलग्नक -06

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया, अध्ययन केन्द्रों, सीटों, आदि के निर्धारण हेतु गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनाँक 16–07–2003 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :–

1.	प्रो. बी.एन. अस्थाना पूर्व कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो. जगदीश प्रकाश पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. आर.के. बसलस कुलसचिव, उ.प्र.रा.टं.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सचिव
4.	श्री के.डी. सिंह उ.प्र.रा.टं.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
5.	प्रो. एस.पी. गुप्ता उ.प्र.रा.टं.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एच.के. सिंह उ.प्र.रा.टं.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं अन्य तत्सम्बन्धी विषयों पर विचार विमर्श करते हुए दूरस्थ शिक्षा परिषद् के एम.बी.ए. दिशा–निर्देशों एवं उ.प्र.रा.टं.मु. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के तत्सम्बन्धी प्रावधानों का सम्यक अध्ययन किया एवं विचारोपरान्त निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिए :

1. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता निम्नवत् रहेगी :–

   Minimum 50% Marks in Bachelor's Degree alongwith 3 years Managerial/Supervisory Experience.

2. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाय ।

3. प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों के विविध औपचारिकताओं की पूर्ति एवं अध्ययन केन्द्र आबंटन का कार्य इलाहाबाद में काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जाय ।

P.T.O.

16.07.03

4. डॉ. एच.के. सिह के द्वारा प्रस्तावित प्रवेश विवरणिका व आवेदन पत्र के प्रारूपों तथा प्रवेश कार्यक्रम को कतिपय संशोधनोंपरान्त स्वीकृत किया गया ।

5. विवरणिका सहित प्रवेश आवेदन पत्र का मूल्य नकद भुगतान पर रु. 200.00 व डाक द्वारा मंगाने पर रु. 250.00 निर्धारित किया गया ।

6. प्रवेश आवेदन पत्र सभी निर्धारित अध्ययन केन्द्रों और विश्वविद्यालय से नकद विक्रय किये जायें और डाक द्वारा केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय से प्रेषित किए जांय ।

7. प्रवेश हेतु विज्ञापन हिन्दी व अंग्रेजी के दो–दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के उत्तर प्रदेश के सभी संस्करणों तथा Employment News व रोजगार समाचार में प्रकाशित कराये जांय ।

8. लगभग 2500–3000 प्रवेश आवेदन पत्र (विवरणिका सहित) अंग्रेजी भाषा में शीघ्रता से उच्च स्तर के कागज पर मुद्रित कराये जाय जिससे कि प्रवेश कार्य की कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारम्भ हो सके ।

9. निम्नांकित 12 अध्ययन केन्द्रों पर ही एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित किए जांय :–

   1. Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad
   2. R.B.S. College, Agra
   3. I.P. P.G. College, Bulandshahr
   4. Bareilly College, Bareilly
   5. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur
   6. T.D. College, Jaunpur
   7. Christ Church College, Kanpur
   8. National P.G. College, Lucknow
   9. Ismail National P.G. College, Meerut
   10. Hindu College, Moradabad
   11. Government P.G. College, Noida
   12. J.V. Jain College, Saharanpur

10. प्रत्येक अध्ययन केन्द के लिए छात्र संख्या न्यूनतम 15 व अधिकतम 60 रखी जाय ।

11. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम का शुल्क रु. 8000.00 वार्षिक रखा जाय ।

12. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रवेश के सम्बन्ध में आने वाली आकस्मिक विसंगतियों का समाधान कुलपति महोदय के अनुमोदन से डॉ. एच.के. सिंह करें ।

प्रो.(बी.एन. अस्थाना) प्रो.(जगदीश प्रकाश) डॉ.(आर.के. बसलस) (श्री के.डी. सिंह)

प्रो.(एस.पी. गुप्ता) डॉ. (एच.के. सिंह) 16.7.03

REGULATIONS FOR THE MBA PROGRAMME

under the

Open and Distance Learning System

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University
17 Maharshi Dayanand Marg(Thornhill Road),
Allahabad

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Allahabad

1. INTRODUCTION

The MBA Programme of Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad aims to develop the understanding and competency required by practising managers for effective managerial growth.

2. CURRICULUM DESIGN

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad, will adopt the course structure and study material of IGNOU, New Delhi, till the time, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad, develops its own study material and course structure for the MBA programme. The suggested course structure of three years i.e. six Semester MBA programme, is as under: -

First Semester:

MBA 1.1	:	Management Functions and Behaviour
MBA 1.2	:	Managing Men
MBA 1.3	:	Economic and Social Environment
MBA 1.4	:	Quantitative Analysis for Managerial Applications

Second Semester:

MBA 2.1	:	Information Management and Computers
MBA 2.2	:	Marketing for Managers
MBA 2.3	:	Accounting and Finance for Managers
MBA 2.4	:	Management of Machines and Materials

Third Semester:

MBA 3.1 : Managerial Economics

MBA 3.2 : Organisational Design, Development and Change

MBA 3.3 : Corporate Polices and Practices

MBA 3.4 : Management Control System

Fourth Semester:

MBA 4.1 : International Business

MBA 4.2 : Management of New and Small Enterprises

MBA 4.3 : Sales Management

MBA 4.4 : Research Methodology for Managerial Decisions

Fifth Semester: (Select any one specialised group consisting of four courses)

(a) Specialised Area: Human Resource Management

MBA 5.11 : Human Resource Development

MBA 5.12 : Human Resource Planning

MBA 5.13 : Union Management Relations

MBA 5.14 : Managing Change in Organisations

(b) Specialised Area: Financial Management

MBA 5.21 : Project Management

MBA 5.22 : Security Analysis and Portfolio Management

MBA 5.23 : International Financial Management

MBA 5.24 : Management of Financial Services

(c) Specialised Area: Operation Management

MBA 5.31 : Operations Research

MBA 5.32 : Production Management

MBA 5.33 : Management Information System

MBA 5.34 : Total Quality Management

(d) Specialised Area: Marketing Management

MBA 5.41 : Consumer Behaviour

MBA 5.42 : Management of Marketing Communications & Advertising

MBA 5.43 : International Marketing

MBA 5.44 : Marketing Research

Sixth Semester:

MBA 6.1 : Strategic Management

MBA 6.2 : Technology Management

MBA 6.3 : Project Work and Industrial Training

MBA 6. 4 : Comprehensive Viva – Voce

3. ELIGIBILITY CRITERIA

Minimum 50% marks in Bachelor's degree and 3 years managerial/ supervisory experience.

4. ADMISSION/SELECTION PROCEDURE

The students of MBA will be admitted on the basis of their merit as determined by the percentage of marks in Bachelor's degree.

5. DURATION

The minimum duration of the course will be three years, i.e. 36 months. However, the maximum period allowed for the completion of the programme will be six years.

6. STUDENTS INTAKE AND CLASS SIZE

The intake of students to MBA programme will be decided by Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad, according to the availability of infrastructure, human resources and other facilities like audio/video support, library facilities, computer etc. at the study centres and headquarters of the University. However, at the initial stage, the number of students will be 500 and the minimum and maximum number of students attached to one study centre will be 15 and 60 respectively. But in the compelling situations, the university may relax these norms.

7. THE MEASURE OF A COURSE/PROGRAMME

The UPRTOU will follow the credit system for its MBA programme. In our system, each credit is equivalent to 30 hours of a candidate's study, comprising all learning activities (i.e. study of print material, listening to audio, watching video, attending couselling session, teleconferencing, industrial training, project work, and writing assignment responses) . The candidate has to study four courses/ papers in each Semester. Each course shall be of four credits. Thus, four credits course involves 120 hours of study for each candidate. In this way, each candidate has to study 480 hours for four courses per Semester and ultimately 2,880 hours' study is required normally to complete all the 24 courses spread over six semesters. The examination for the MBA programme shall consist of six Semesters: First, Second, Third, Fourth, Fifth, and Sixth Semester.

The candidate for the programme shall be admitted only in the First Year on the basis of the prescribed regulations and subject to the eligibility. After the successful completion of First and Second Semester examinations, the candidate shall be awarded Diploma in Management (DIM). After the successful completion of DIM and Third and Fourth Semester examinations, the candidate may be awarded Post-Graduate Diploma in Management(PGDIM). After the successful completion of the PGDIM and Fifth and Sixth Semester examinations, the candidate shall be awarded Master of Business Administration(MBA).

8. LEARNING RESOURCES

The instructional system of MBA programme may include the following:

a. Printed Self-Learning Material(SLM) and / or Books,
b. Audio and Video Instructions,
c. Counselling sessions including two compulsory contact programmes,
d. Assignments, at least, two for each course/paper,
e. Industrial Training /Project work,
f. Case Study/ Simulation,
g. Gyan Vani and Gyan Darshan.

9. **DELIVERY MECHANISM**

The schedule will be as under :-

a	Despatch of study materials	:	Within a month after Registration of the Programme.
b	Receipt of completed assignments	:	Within one month of the date of despatch of the assignment
c	Evaluation of Students' Assignments and feedback to students	:	Within four weeks of receipt of assignments
d	Response to students' queries	:	Within a fortnight of receipt of query
e	Declaration of results after examinations	:	Eight to ten weeks after the examination.
f	Feedback to students after their performance and progress in the programme	:	Once in every semester

This schedule may be changed by the University .

10. **EVALUATION**

The evaluation system of the programme will be based on two components :

(a) Continuous evaluation in the form of periodic assignments, mid-term tests etc.

This component will carry a weightage of ~~25%~~ 30% .

(b) Semester – end examination with a weightage of ~~75%~~ 70% .

The division shall be awarded to the successful candidates at the end of the second, fourth and sixth Semester on the basis of their aggregate marks in all papers/courses :-

First Division	60% or above.
Second Division	48% or more but less than 60%.
Third Division	36% or more but less than 48%.
Fail	Less than 36%.

If a candidate fails or fails to appear in any one or more courses of the Semester-end examination, she/he may appear in the subsequent Semester-end examination for that course/those courses. This facility shall be available until the candidate passes that course/those courses, upto a period of 6 years from the date of admission. The University may consider the application for re-registration of students who have failed to

complete the courses, if they deposit the prescribed examination fee and allow them in the papers/courses which they have not cleared thus far.

Each course will carry 100 marks out of which the written paper shall consist of 75 marks and 25 marks shall be assigned on the basis of candidate's performance in the sessional works, i.e. mid-term tests etc. Minimum pass marks in each paper shall be 30%. At the end of sixth Semester the candidate has also to appear in the comprehensive Viva-Voce.

11. FEE STRUCTURE

The fee structure will be decided by the university from time to time. For the academic session 2003-04 the programme fee will be Rs.8000=00 per annum.

12. MONITORING AND PERFORMANCE REVIEW

The main focus of MBA programme started by Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad, is quality assurance and for that purpose well-organised self-evaluation system will be implemented.

संलग्नक-07

Regulation:

Under Chapter -2 of I Ordinance 2002, Section 28 (2) A of Act 10 of 1999

Master of Business Administration

1. The management entrance test for the admission to MBA program shall be known as MAT-RTOU (Management Aptitude Test-Rajarshi Tandon Open University).
2. Eligibility criteria for taking admission to the MBA program shall be as under-
   i. Graduation in any discipline with 50% marks for the general category candidates and 45% marks for the reserved category candidates (as declared by State Govt. from time to time).

      Or

      Bachelor degree with 3 years of Supervisory/ Managerial/ Professional/ Working Experience.

   ii. Clearance of MAT-RTOU conducted by UPRTOU (Clearance means securing 40% marks in MAT-RTOU)

      The candidates who have successfully cleared the entrance tests conducted by IGNOU (OPENMAT), CAT, MAT, Uttar Pradesh State Level Test (UPMCAT etc) need not to appear in MAT-RTOU and their scores shall be valid up to one year to take admission to MBA program of UPRTOU.

      Explanation: The term experience means work experience of a person acquired after the degree.
3. There shall be one composite paper in the MAT-RTOU containing following sub themes.

A. General Awareness

B. English Language

C. Quantitative Aptitude

D. Reasoning & Mental Ability

4. The entrance test will be conducted at the specified places as decided by the university from time to time.
5. The students shall be free to take admission to the study centers of their choice on showing their score cards of the respective entrance tests.
6. The admission to MBA program will be given to the students at the study centers listed by the university from time to time.
7. The courses, admission procedure, duration of program, examination scheme etc. shall be decided by the university from time to time.
8. Any other issue which has not been covered in these regulations shall be decided by the general admission rules of the university.
9. For any clarification/ disputes, the decision of the university shall be binding on the candidate.
10. The Earlier regulations dated 16-07-2003 regarding MBA program is hereby repealed.

संलग्नक - 08

PROPOSAL FOR AMENDMENTS IN UPRTOU FIRST ORDINANCES, 2002

CHAPTER II

ADMISSION, ELIGIBILITY, DURATION AND STRUCTURE OF VARIOUS DEGREE, DIPLOMA AND CERTIFICATE PROGRAMMES AND COURSES OF STUDIES [Under Section 28(2)(a)]

1. Admission

Present Provision	Amendment	Justification
(3) It shall be open to the University to conduct such tests as it may prescribe from time to time for admission to specific academic programmes/courses.	No Change	
Provided that the University may engage the services of any external agency(ies) of repute for performance of any task(s) connected with such test(s) on such terms and conditions as it may decide.	-do-	
Provided further that selection of such agencies will be based on an open tender and that tenderers shall be opened and evaluated by a Committee constituted for the purpose by the Vice-Chancellor. The composition of the Tender Evaluation Committee shall be as under:	-do-	
1. Pro-Vice-Chancellor - Chairman (nominated by the Vice-Chancellor) 2. A Member of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor 3. Finance Officer 4. Registrar	-do-	
	To be Added Provided further that the provision of open tender may be waived if such agency is State Government department/ Central Government department or their undertakings परन्तु यह भी कि यदि ऐसा अभिकरण राज्य सरकार विभाग/ केन्द्र सरकार विभाग अथवा उनके उपक्रमों की स्थिति में इस प्राविधान को शिथिल किया जा सकता है।	In conducting such tests, most of the activities are highly sensitive and confidential. By requesting state govt/ central govt. or their undertakings for conducting such tests, additional option for maintaining confidentiality and sanctity will increase.

CHAPTER II

ADMISSION, ELIGIBILITY, DURATION AND STRUCTURE OF VARIOUS DEGREE, DIPLOMA AND CERTIFICATE PROGRAMMES AND COURSES OF STUDIES

[Under Section 28(2)(a)]

1. Admission

Present Provision	Amendment	Justification
(4) 21% of the seats in the academic programmes/ courses shall be reserved for students belonging to Scheduled Caste, 2% for students belonging to Scheduled Tribes, 27% for students belonging to Other Backward Classes of citizens	**To be Substiuted** Seats in the academic programmes/ courses (where intake is restricted) shall be reserved for SC, ST, OBC Physically Handicapped, etc as per the directives of State Government norms from time to time. शैक्षिक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में (जहाँ सीटों की संख्या सीमित है) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलांगों, आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।	राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले आरक्षण नियमों के परिवर्तनों को तुरन्त लागू किया जा सके।

03

4. The Courses of Studies: Degree; Diploma and Certificates

Present Provision	Amendment	Justification
(2) -	**<u>To be Added</u>** The University may add new degrees/ diplomas/ certificates to those mentioned in clause 1 or to delete any of them, with the approval of the Academic Council from time to time. विश्वविद्यालय समय–समय पर विद्या परिषद के अनुमोदन से बिन्दु 1 में नई उपाधियों/ डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र सम्मिलित कर सकेगा अथवा हटा सकेगा।	Starting new programmes/ reviewing existing programmes will enhance flexibility in distance education. Most of the programmes are launched keeping in mind the local socio-cultural needs.

40

CHAPTER IV

CONDUCT OF EXAMINATIONS AND THE TERMS AND CONDITIONS FOR APPOINTMENT OF EXAMINERS
[Under Section 28(2)(b)]

A. EVALUATION

2. ***Methods of Evaluation***

Present Provision	Amendment	Justification
Unless otherwise specified, the performance of a student enrolled in a course/programme will be assessed:	No Change	
(1) In every programme, self assessment of each unit shall be done by the student. This evaluation shall not be included in examination result.	-do-	
(2) Continuously on the basis of sessional work which shall be assessed with the help of Examiner or Computer. The Evaluation of practical work, seminar, workshop or project will be done separately.	**To be Substiuted** Continuously on the basis of sessional work which shall be assessed with the help of **Tutor/ Counsellor/** Examiner or Computer. The Evaluation of practical work, seminar, workshop or project will be done seperately. ट्यूटर/ परामर्शक/परीक्षक अथवा कम्प्यूटर की सहायता से सत्रीय कार्य का सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। प्रयोगात्मक कार्य, सेमिनार, कार्यशाला अथवा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पृथक से किया जायेगा।	Tutor/ Counsellor can also better suggest the learner to improve their learning as they are in direct touch with the learner through the counselling sessions.

58

CHAPTER IV

CONDUCT OF EXAMINATIONS AND THE TERMS AND CONDITIONS FOR APPOINTMENT OF EXAMINERS
[Under Section 28(2)(b)]

C. APPOINTMENT OF EXAMINERS/ PAPER SETTERS/ MODERATORS

Present Provision	Amendment	Justification
(1) ...	...	
Provided that the Vice-Chancellor in special circumstances may appoint paper setters, examiners and moderators	No Change	
	To be Added Provided further that the Vice-Chancellor may appoint tutor/ counsellor as examiner for the assessment of sessional work. परन्तु यह भी कि कुलपति ट्यूटर/ परामर्शक को सत्रीय कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षक नियुक्त कर सकता है।	

98

CHAPTER XVI
THE CONVOCATION
[Under Statute 10.04]

Present Provision	Amendment	Justification
(14) On the procession entering the *Pandal*, the candidates shall rise and remain standing until the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Members of the Executive Council have taken their seats.	No Change	
Vande Matram will be sung, preferably by a few girls students of the University, if available, otherwise by male students, all persons standing.	**To be Substiuted** Vande Matram **and Kulgeet** will be sung, preferably by a few girls students of the University, if available, otherwise by male students, all persons standing. वन्देमातरम और **कुलगीत**, विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा यदि उपलब्ध हों अन्यथा छात्रों द्वारा गाया जायेगा, सभी व्यक्ति खड़े हों।	University has now Kulgeet. Hence, it is to be added.
(26) The Chancellor will introduce the Chief Guest and request him to address the Convocation.	**To be Substiuted** The **Vice-Chancellor** will introduce the Chief Guest and request him to address the Convocation कुलपति मुख्य अतिथि का परिचय करायेंगे और उनसे दीक्षान्त भाषण देने के लिए अनुरोध करेंगे।	It is customary that the Chief Guest is introduced by the Vice-Chancellor
	To be Added **(26(A)) Presidential Address by HE Governor/ Chancellor** 26(अ) श्री राज्यपाल/ महामहिम कुलाधिपति का अध्यक्षीय उद्‌बोधन	This provision is not existing. It is customary that Presidential Address is being delivered by HE Governor/ Chancellor

87

The Ordinances Governing the B.Ed. Distance Mode Two Year Programme

Present Description	Proposed Amendment	Justification
VI Eligibility for Admission		
1.A candidate who is working teacher in a pre-primary/primary/middle/junior high school/secondary/senior secondary/higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh. having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any University in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/certificate recognized by the University may be admitted to the B.Ed. of the University.	1.The eligibility norms for admission to B. Ed. Distance Mode Two year Programme of the University shall be as such as decided by the NCTE from time to time.	Vide notification dated 31 August 2009, the NCTE has amended the norms and standards of teacher education programmes.
2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at intermediate level out of the following-Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics.	2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following- Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects as decided by the University/NCTE from time to time.	Commerce, agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.

बैठक कार्यवृत्त

संलग्नक-०१

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नान– क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के सदस्यों की बैठक शैक्षिक परिसर, मनमोहन पार्क, कटरा के पाठ्य–सामग्री अनुभाग में दिनाँक 14–05–2010 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहें।

1 डॉ. एम. एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा

2 डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया, प्रभारी पाठ्य–सामग्री

3 डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव, प्रवक्ता, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा

4 डॉ. गिरीश कुमार द्विवेदी, प्रभारी प्रवेश अनुभाग

वे सदस्य जो किन्ही कारणों से उपस्थित नही हो सकें।

1 प्रो. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा

नान– क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम में प्रवेश लेने की व्यवस्था जब से शुरू हूई है इसके किसी भी कार्यक्रम के लिए छात्रों को प्रमाण–पत्र निर्गत नही किया गया है। जबकि छात्रों से परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा शुल्क लिया जाता है। इसे दृष्टिगत रखतें हुए विचारोपरान्त समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित संस्तुतियां की जो निम्नवत् है।

- प्रत्येक नान क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम के लिए परीक्षा का आयोजन अधिन्यास प्रश्न–पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर होगा।
- प्रत्येक नान क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक अधिन्यास प्रश्न–पत्र का निर्माण कराया जाय जिसमें सभी जागरूकता कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रश्नों को समाहित किया जाय। छात्र अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्नों का चयन करते हुए अधिन्यास कार्य को नियत समय के अन्दर पूर्ण कर विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग को स्वय के द्वारा या अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।
- अधिन्यास प्रश्न–पत्र के निर्माण में प्रश्न–पत्र निर्माणकर्ता इस बात का ध्यान दें कि उनके प्रत्येक प्रश्न–पत्र के सभी खण्डों से प्रश्नों का चयन हो सकें।
- मूल्यांकन प्रणाली ग्रेडिंग पद्वति पर आधारित होगी।
- मूल्यांकन कर्ता को A, B, C, D एवं E ग्रेड का आवंटन करना होगा। ग्रेडिंग क्रमशः शीर्षत्थता के क्रम में क्रमशः A, B, C, D एवं E होगी।
- A, B, C एवं D पाने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा उत्तीर्ण घोषित करते हुए प्रमाण–पत्र जारी करना होगा।
- E ग्रेड से तात्पर्य अनुत्तीर्ण है। E ग्रेड पाने वाले शिक्षार्थियों को निर्धारित समयावधि के अन्दर पुनः अधिन्यास कार्य को पूर्ण करना होगा जिसके लिए उन्हें निर्धारित बैक परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य होगा।

14-5-10

डॉ. (एम.एन. सिंह)

14.05.10

डॉ. (उपेन्द्र कुमार कनौजिया)

डॉ. (ज्ञान प्रकाश यादव)

डॉ (गिरीश कुमार द्विवेदी)

Serial No. ---------

Enrolment No. ---------

SAMPLE

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

जागरुकता कार्यक्रम

AWARENESS PROGRAME

प्रमाणित किया जाता है कि ....(नाम).... को नियत अध्ययन–क्रम पूरा कर **दिसम्बर /जून (वर्ष)** में .....(विषय).... में जागरुकता कार्यक्रम का प्रमाण पत्र ...(Grade).....ग्रेड में प्रदान की जाती है।

This is to certify that **.....(Name).....** having pursued the prescribed course of study in **December / June .....(Year)....** is hereby awarded the **Certificate of Awareness Programme in (Subject)** in (Grade)**Grade**.

Allahabad

Date : ....., ...

Registrar

कुलसचिव

Prepared by :	Checked by :
..... Signature	..... Signature

SAMPLE